

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.5 के संदर्भ में)

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण*

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		कुल योग
							अन्य	ऋण एवं अभिम	
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अभिम	अन्य	
1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	15696.62	37.56	9.20	0.00	17.08	0.00	24.66	2905.50	18690.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	100%
2 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1073.04	658.88	868.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-149.17	2450.80
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	44%	27%	35%	0%	0%	0%	0%	-6%	100%
3 - पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1619.96	0.00	2.18	0.00	6.51	0.00	0.00	120.01	1748.66
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	100%
4 - परमाणु ऊर्जा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	127.45	1264.64	0.00	0.00	860.43	40.00	0.00	1180.67	3473.18
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	4%	36%	0%	0%	25%	1%	0%	34%	100%
5 - नाभिकीय शक्ति योजनागत									
व्यय (₹ करोड़ में)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	272.02	581.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	3%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	47%	100%
6 - रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	6.06	174.37	0.00	976.96	0.00	0.00	0.00	0.55	1157.94

* स्रोत : नवम्बर 2014 में मं.ले.नि.द्वारा प्रस्तुत ई-लेखा डाटा ड्रॉप

§ आंकड़ों को पूर्णकित करने के कारण, कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
अनुदान									
सहायता अनुदान सामान्य	1%	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	15%	0%	84%	0%	0%	0%	0%	100%
7 - उर्वरक विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.32
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	100%
8 - भेषजीय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	50.75	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	-4.93	68.18
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	74%	19%	0%	0%	0%	0%	14%	-7%	100%
9 - नागरिक उड्डयन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	122.44	0.00	0.00	16.36	6012.00	0.00	32.18	6182.98
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	0%	0%	0%	97%	0%	1%	100%
10 - कोयला मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	261.07	0.00	0.00	0.00	261.63	522.70
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	100%
11 - वाणिज्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	504.29	39.37	0.00	429.50	849.64	100.00	0.00	14.41	1937.21
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	26%	2%	0%	22%	44%	5%	0%	1%	100%
12 - औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	78.48	516.71	14.63	470.02	9.00	0.00	0.00	20.65	1109.49
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	7%	47%	1%	42%	1%	0%	0%	2%	100%
14 - दूरसंचार विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	224.25	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	2404.46	2632.16
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशत	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	
								ऋण एवं अग्रिम	कुल योग
सहायता अनुदान सामान्य									
15 - इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1010.26	58.80	133.80	0.00	9.40	0.00	0.00	640.76	1853.03
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	55%	3%	7%	0%	1%	0%	0%	35%	100%
16 - उपभोक्ता मामले विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	10.04	29.53	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	135.29	180.08
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	6%	16%	0%	0%	3%	0%	0%	75%	100%
17 - खाद्य एवं सार्वजनिक सवितरण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	184.45	0.00	2.55	0.00	0.49	3.00	0.00	0.92	191.42
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	96%	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	100%
18 - कापरेट कार्य मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	18.23	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	20.38
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	89%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	100%
19 - संस्कृति मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	881.75	141.31	32.69	0.00	31.84	0.00	0.00	290.75	1378.34
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	64%	10%	2%	0%	2%	0%	0%	21%	100%
28 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रिय विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	105.77	1494.45	0.00	0.00	157.45	4.00	60.00	-40.57	1781.10
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	6%	84%	0%	0%	9%	0%	3%	-2%	100%
29- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	11837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.59	11934.83
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
30- भू-विज्ञान मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	645.92	26.88	24.96	0.00	43.27	0.00	0.00	134.98	876.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	74%	3%	3%	0%	5%	0%	0%	15%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
31- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	934.00	550.43	94.24	0.00	36.66	0.00	0.00	193.22	1808.55
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	52%	30%	5%	0%	2%	0%	0%	11%	100%
32 - विदेश मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.49	1281.50	2749.99
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	47%	100%
33- आर्थिक कार्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.45	1000.00	0.00	3300.00	5402.45
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	20%	19%	0%	61%	100%
34 - वित्त सेवाएं विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16882.78	0.00	0.00	17666.96
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	4%	0%	0%	0%	0%	96%	0%	0%	100%
36 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	45955.60	28603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10999.75	0.00	85558.52
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	54%	33%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	100%
39 - व्यय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
40 - पेंशन									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	464.36	39.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	527.24
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	88%	8%	2%	0%	0%	0%	0%	3%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								ऋण एवं अग्रिम		
47 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	16442.43	2829.95	714.61	0.00	827.82	0.00	0.00	1661.84		22476.65
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	73%	13%	3%	0%	4%	0%	0%	7%		100%
48 - आर्युर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	284.89	143.23	74.05	0.00	15.71	0.00	0.00	35.63		553.51
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	51%	26%	13%	0%	3%	0%	0%	6%		100%
49 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	401.41	69.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21		569.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	70%	12%	17%	0%	0%	0%	0%	0%		100%
50 - एड्स नियंत्रण विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	693.77	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	779.21		1473.16
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%		100%
51 - भारी उद्योग विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	47.23	0.66	0.00	0.00	0.00	358.50	90.46	1.43		498.28
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	0%	0%	0%	0%	72%	18%	0%		100%
52 - सार्वजनिक उद्यम विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11		6.42
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%		100%
53 - गृह मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	536.27		536.91
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%
55 - पुलिस										
व्यय (₹ करोड़ में)	707.68	597.00	0.00	0.00	4408.02	0.00	0.00	257.42		5970.13
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	12%	10%	0%	0%	74%	0%	0%	4%		100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य		कुल योग
56 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय										
व्यय (₹ करोड़ में)	18.91	200.66	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	62.77	289.29	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	7%	69%	0%	0%	2%	0%	0%	22%	100%	
57 - संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण										
व्यय (₹ करोड़ में)	122.5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	-3.93	1231.66	
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	100%	
58 - आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	85.4.47	0.00	3.00	50.10	0.00	0.00	0.00	169.01	1076.58	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	79%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	16%	100%	
59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	35097.81	7982.80	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	43684.41	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	80%	18%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
60 - उच्च शिक्षा विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	5561.99	7806.03	562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	252.25	14182.83	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	39%	55%	4%	0%	0%	0%	0%	2%	100%	
61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	91.62	360.40	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	250.25	715.22	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	13%	50%	0%	0%	2%	0%	0%	35%	100%	
62 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	491.85	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.55	1594.00	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	31%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	
64 - विधि एवं न्याय										
व्यय (₹ करोड़ में)	5.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68	940.68	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	100%	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	
अनुदान										
सहायता अनुदान सामान्य		पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम			
66 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	1479.20	96.32	3.77	459.06	5.15	70.00	0.00	137.75	2251.25	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	66%	4%	0%	20%	0%	3%	0%	6%	100%	
67 - खनन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	10.97	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.69	530.69	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	100%	
68- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	2015.77	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.42	3007.49	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	67%	31%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
69 - नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	731.15	0.00	1.20	655.14	18.00	181.00	0.00	-1204.56	381.93	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	191%	0%	0%	172%	5%	47%	0%	-315%	100%	
71 - पंचायती राज मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	557.96	2873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	3461.46	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	16%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
73 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	3.85	5.25	0.00	0.00	61.14	0.00	0.00	130.64	200.89	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	0%	0%	30%	0%	0%	65%	100%	
75 - योजनागत मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	10.86	0.25	0.00	0.00	106.08	0.00	0.00	1536.85	1654.03	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	93%	100%	
76 - विद्युत मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	82.47	2917.86	0.00	35.00	66.57	393.79	1316.67	-290.27	4522.09	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	65%	0%	1%	1%	9%	29%	-6%	100%	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग	
82 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	18.33	3233.62	0.00	0.00	8934.78	11627.45	0.00	-168.05	23646.13	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	14%	0%	0%	38%	49%	0%	-1%	100%	
83 - ग्रामीण विकास विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	6826.56	51109.18	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	676.75	58623.08	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	12%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
84 - भू-संसाधन विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	2468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	2487.73	
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
85 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	1387.90	475.86	319.50	0.00	5.54	0.00	7.19	25.24	2221.22	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	62%	21%	14%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
86 - विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	634.55	728.60	228.90	0.00	0.00	4.00	4.00	2.76	1602.82	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	40%	45%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
87 - जैव-तकनीकी विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	755.25	400.93	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84	1275.71	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	59%	31%	7%	0%	0%	0%	0%	3%	100%	
88 - पोत परिवहन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	5.34	129.08	0.00	0.00	293.52	0.00	50.00	13.08	491.03	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	26%	0%	0%	60%	0%	10%	3%	100%	
89 - सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	4981.42	87.66	3.31	0.00	0.00	302.55	0.00	42.76	5417.69	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	92%	2%	0%	0%	0%	6%	0%	1%	100%	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	
सहायता अनुदान सामान्य										
अनुदान										
90 - अंतरिक्ष विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	83.41	99.15	0.00	0.00	282.61	0.00	0.00	3532.76	0.00	3997.93
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	0%	0%	7%	0%	0%	88%	0%	100%
91 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	378.60	3955.92	2.02	0.00	3.52	0.00	0.00	94.89	0.00	4434.95
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	100%
92 - इस्पात मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
93 - कपड़ा मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	952.99	423.69	0.00	1729.83	7.63	0.00	0.00	15.39	0.00	3129.53
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	30%	14%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
94 - पर्यटन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	75.41	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	0.00	815.04
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	69%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	0%	100%
95 - जनजातीय मामले मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	2290.24	1443.61	22.33	0.00	0.00	60.50	0.00	4.19	0.00	3820.88
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	60%	38%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	100%
96 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह										
व्यय (₹ करोड़ में)	82.61	51.18	13.05	5.23	276.45	0.31	0.00	1155.17	0.00	1583.99
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	5%	3%	1%	0%	17%	0%	0%	73%	0%	100%
97 - चंडीगढ़										
व्यय (₹ करोड़ में)	149.77	0.00	1.00	0.03	228.86	0.00	0.00	212.61	0.00	592.27
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	25%	0%	0%	0%	39%	0%	0%	36%	0%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								ऋण एवं अग्रिम		
अनुदान										
सहायता अनुदान सामान्य		पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वैतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश				
98 – दादरा एवं नगर हवेली										
व्यय (₹ करोड़ में)	139.29	180.85	0.00	1.29	148.33	40.00	1.29	106.65	617.70	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	29%	0%	0%	24%	6%	0%	17%	100%	
99 – दमन एवं दीव										
व्यय (₹ करोड़ में)	118.24	20.63	1.75	2.30	181.44	0.20	0.00	180.70	505.26	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	4%	0%	0%	36%	0%	0%	36%	100%	
100 – लक्षद्वीप										
व्यय (₹ करोड़ में)	83.25	0.00	0.51	2.54	146.11	0.05	0.00	127.74	360.21	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	0%	0%	1%	41%	0%	0%	35%	100%	
101 – शहरी विकास विभाग										
व्यय (₹ करोड़ में)	30.49	314.71	0.00	0.00	384.86	885.00	4632.66	29.96	6277.67	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	5%	0%	0%	6%	14%	74%	0%	100%	
102 – लोक निर्माण कार्य										
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80	0.00	0.00	19.85	158.64	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	87%	0%	0%	13%	100%	
104 – जल संसाधन मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	183.44	0.00	0.00	0.00	128.02	0.00	0.00	219.27	530.73	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	35%	0%	0%	0%	24%	0%	0%	41%	100%	
105 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय										
व्यय (₹ करोड़ में)	16824.71	962.92	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	144.24	17949.85	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	94%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55	अन्य		कुल योग
								सहायता अनुदान-वैतन	ऋण एवं अग्रिम	
सहायता अनुदान सामान्य										
पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान										
आर्थिक सहायता										
मुख्य कार्य										
निवेश										
व्यय (₹ करोड़ में)	631.64	121.93	244.77	0.00	0.87	0.00	0.00	13.25	1012.48	
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	62%	12%	24%	0%	0%	0%	0%	1%	100%	
कुल योग (₹ करोड़ में)	188167.89	125863.13	4180.01	5078.06	19841.96	38254.73	18674.35	25799.38	426253.31	
योजनागत व्यय का कुल प्रतिशत	44%	30%	1%	1%	5%	9%	4%	6%	100%	

106 – युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय

अनुबंध 1.2

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण#

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्टूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
1 – कृषि एवं सहकारिता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	434.90	847.89	4785.68	962.09	1837.44	2845.11	471.81	693.26	2825.93	701.22	1418.37	1203.89	19027.58
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	4%	25%	5%	10%	15%	2%	4%	15%	4%	7%	6%	100%
2 – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	940.25	0.42	1533.06	0.42	539.48	30.75	1193.20	0.37	0.42	550.67	-69.50	160.40	4879.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	19%	0%	31%	0%	11%	1%	24%	0%	0%	11%	-1%	3%	100%
3 – पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	43.83	121.83	424.76	112.87	234.87	276.12	53.72	219.02	185.07	67.83	228.78	180.49	2149.17
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	6%	20%	5%	11%	13%	2%	10%	9%	3%	11%	8%	100%
4 – परमाणु ऊर्जा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1030.27	940.11	652.60	1020.40	850.27	1005.33	804.35	719.41	705.17	948.87	785.13	866.25	10328.16
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	6%	10%	8%	10%	8%	7%	7%	9%	8%	8%	100%
5 – नाभिकीय शक्ति योजना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	115.41	215.51	133.59	234.76	1066.92	335.75	137.51	183.53	251.34	214.14	108.40	1060.52	4057.38
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	5%	3%	6%	26%	8%	3%	5%	6%	5%	3%	26%	100%
6 – रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4.13	981.90	4.13	51.87	23.28	10.49	3.81	62.70	15.60	4.53	40.69	5.61	1208.73
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	81%	0%	4%	2%	1%	0%	5%	1%	0%	3%	0%	100%

स्रोत : नवम्बर 2014 में मा.ले.नि. द्वारा प्रस्तुत ई-लेखा डाटा डम्प। अन्तर लेखा अंतरण एवं 'कटौती की गई वस्तुओं के आंकड़ों को छोड़कर'
 † आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण, 'कुल योजनागत व्यय' की प्रतिशतता 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
7 - उर्वरक विभाग													
माह के दौरान व्यय(₹ करोड़ में)	7368.26	5990.86	14163.87	9524.03	5893.66	3831.86	4252.27	3773.86	4221.50	8447.17	2099.04	1736.66	71303.05
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	20%	13%	8%	5%	6%	5%	6%	12%	3%	2%	100%
8 -अभेजीय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.75	2.50	9.31	13.78	3.19	5.46	18.95	1.86	21.54	4.76	3.42	26.97	113.48
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	8%	12%	3%	5%	17%	2%	19%	4%	3%	24%	100%
9 - नागरिक उड्डयन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	811.77	3108.00	210.65	227.26	212.34	689.68	167.65	150.79	175.51	7.14	11.80	1182.01	6954.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	45%	3%	3%	3%	10%	2%	2%	3%	0%	0%	17%	100%
10 - कोयला मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.07	8.83	121.07	74.50	1.93	257.13	-6.19	10.13	8.21	1.82	530.15	318.81	1329.45
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	9%	6%	0%	19%	0%	1%	1%	0%	40%	24%	100%
11 - वाणिज्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	91.56	1080.76	524.94	663.99	401.09	492.31	214.16	330.42	426.44	227.85	211.42	598.48	5263.43
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	21%	10%	13%	8%	9%	4%	6%	8%	4%	4%	11%	100%
12 - औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22.30	93.89	160.88	34.41	169.87	69.16	40.03	25.16	230.93	41.10	108.32	347.04	1343.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	7%	12%	3%	13%	5%	3%	2%	17%	3%	8%	26%	100%
13 - डाक विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1296.82	1352.10	1353.24	1411.56	1381.14	1353.72	1801.57	1397.39	1422.27	1342.75	1387.54	1642.73	17142.82
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	8%	8%	8%	8%	8%	11%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
14 - दूरसंचार विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	400.86	525.89	701.59	2119.58	449.18	554.51	500.23	469.02	528.92	776.74	542.54	1055.15	8624.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	8%	25%	5%	6%	6%	5%	6%	9%	6%	12%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्टूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
15 - इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	91.88	95.94	512.85	304.06	171.97	283.20	144.21	78.00	111.64	86.90	128.48	157.15	2166.27
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	24%	14%	8%	13%	7%	4%	5%	4%	6%	7%	100%
16 - उपभोक्ता मामले विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	8.85	14.97	157.10	21.11	21.78	23.62	12.05	12.58	79.68	22.08	21.05	45.22	440.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	36%	5%	5%	5%	3%	3%	18%	5%	5%	10%	100%
17 - खाद्य एवं सार्वजनिक सवितरण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16768.34	7504.42	15231.59	10000.26	10347.19	9191.32	10440.30	6101.41	2369.73	1524.26	128.42	13740.99	103348.23
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	16%	7%	15%	10%	10%	9%	10%	6%	2%	1%	0%	13%	100%
18 - कार्पोरेट कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13.62	20.25	24.82	8.96	22.43	25.88	19.35	25.66	9.88	16.10	24.99	17.29	229.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	9%	11%	4%	10%	11%	8%	11%	4%	7%	11%	8%	100%
19 - संस्कृति मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	76.42	156.48	319.56	156.41	77.83	374.14	93.29	70.83	181.35	99.13	126.80	259.47	1991.73
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	8%	16%	8%	4%	19%	5%	4%	9%	5%	6%	13%	100%
20 - रक्षा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	384.13	852.21	1292.11	280.10	2067.38	1559.30	1381.40	1841.49	1164.42	1112.90	1526.70	3366.85	16828.99
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	5%	8%	2%	12%	9%	8%	11%	7%	7%	9%	20%	100%
21 - रक्षा पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3403.62	588.49	4133.72	4090.57	4062.10	4145.18	5024.38	3856.19	3959.11	3784.70	3938.09	4513.38	45499.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	1%	9%	9%	9%	9%	11%	8%	9%	8%	9%	10%	100%
22 - रक्षा सेवाएं-थल सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9714.37	6437.76	6271.55	7233.54	7208.62	7308.13	8358.33	6598.61	7548.05	7027.45	7476.30	6567.84	87750.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	7%	8%	8%	8%	10%	8%	9%	8%	9%	7%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
23 - रक्षा सेवाएँ- जल सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	833.30	931.89	679.74	1240.71	1017.63	1051.97	956.34	1022.91	1200.59	1078.90	1433.67	2024.59	13472.26
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	7%	5%	9%	8%	8%	7%	8%	9%	8%	11%	15%	100%
24.- रक्षा सेवाएं-वायु सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1500.56	1574.13	1601.37	1672.10	1779.88	1330.13	1644.37	1690.31	1613.52	1583.86	1400.03	2770.00	20160.27
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	8%	8%	8%	9%	7%	8%	8%	8%	8%	7%	14%	100%
25.- रक्षा आयुध-कारखाने													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	756.00	1395.33	764.60	632.72	450.58	-194.78	107.66	391.76	-503.53	90.78	-43.21	-1037.09	2810.82
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	27%	50%	27%	23%	16%	-7%	4%	14%	-18%	3%	-2%	-37%	100%
26 - रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	419.13	383.72	406.58	445.93	415.84	397.43	1089.80	414.65	422.03	413.13	390.16	497.94	5696.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	7%	7%	8%	7%	7%	19%	7%	7%	7%	7%	9%	100%
27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2679.59	13712.98	6166.71	5069.00	4675.10	7982.62	7460.17	5157.59	12403.60	4713.84	4527.29	4576.58	79125.05
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	17%	8%	6%	6%	10%	9%	7%	16%	6%	6%	6%	100%
28 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रिय विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.88	60.27	334.59	115.61	114.90	385.94	47.71	118.09	240.16	26.84	169.85	261.79	1878.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	3%	18%	6%	6%	21%	3%	6%	13%	1%	9%	14%	100%
29 - पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.32	1.43	2300.39	253.22	529.37	1860.52	28.41	764.40	2285.34	1122.84	1016.34	1777.45	11941.03
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	19%	2%	4%	16%	0%	6%	19%	9%	9%	15%	100%
30 - भू-विज्ञान मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	48.29	50.39	175.12	307.88	112.54	38.86	81.14	65.58	117.15	50.95	93.61	106.65	1248.15
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	14%	25%	9%	3%	7%	5%	9%	4%	8%	9%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
31- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	29.42	102.01	207.96	399.08	147.60	227.19	112.11	45.51	540.62	96.28	138.03	112.99	2158.80
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	5%	10%	18%	7%	11%	5%	2%	25%	4%	6%	5%	100%
32 - विदेश मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	430.97	1510.94	1551.72	854.40	639.28	1102.96	782.89	952.27	954.55	952.48	808.81	1266.08	111807.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	13%	13%	7%	5%	9%	7%	8%	8%	8%	7%	11%	100%
33 - आर्थिक कार्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	14.46	170.20	806.09	597.15	1213.60	518.16	308.26	1064.06	2306.98	558.12	487.68	3933.68	111978.43
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	7%	5%	10%	4%	3%	9%	19%	5%	4%	33%	100%
34 - वित्त सेवाएं विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9.58	23.04	1555.19	40.68	3251.10	1711.63	1111.64	15.54	13786.33	954.08	207.58	4314.08	26980.45
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	6%	0%	12%	6%	4%	0%	51%	4%	1%	16%	100%
35 - विनियोग-व्यय भुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19150.54	23603.34	29475.05	38541.43	31956.51	32949.05	25464.01	31403.90	34981.38	38130.34	36986.06	52745.97	395387.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	7%	10%	8%	8%	6%	8%	9%	10%	9%	13%	100%
36 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5421.16	5268.40	8001.17	17101.52	11157.39	14869.60	6645.45	10918.82	17093.46	6155.00	19709.34	22160.38	144501.68
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	6%	12%	8%	10%	5%	8%	12%	4%	14%	15%	100%
37 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.24	0.33	6.99	19.47	21.28	22.22	21.54	14.97	10.50	10.83	8.22	28.02	164.61
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	4%	12%	13%	13%	13%	9%	6%	7%	5%	17%	100%
38 - विनियोग-ऋण का पुर्नभुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	298530.87	304941.07	257670.24	308502.52	322806.30	300203.10	265677.93	317606.88	256928.89	272741.91	262963.92	342717.69	3511291.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	9%	7%	9%	9%	9%	8%	9%	7%	8%	7%	10%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
39 - व्यय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18.37	-1.92	7.68	17.16	6.38	16.02	10.37	6.86	10.21	7.18	6.67	19.66	124.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15%	-2%	6%	14%	5%	13%	8%	6%	8%	6%	5%	16%	100%
40 - पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2596.06	1055.15	1740.83	2182.92	1559.02	1709.73	2065.85	1435.38	1711.85	1806.38	2458.74	2520.37	22842.29
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	5%	8%	10%	7%	7%	9%	6%	7%	8%	11%	11%	100%
41 - भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	373.61	258.42	225.71	235.97	218.07	224.24	267.30	230.48	231.95	228.49	223.36	-31.70	2685.89
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	14%	10%	8%	9%	8%	8%	10%	9%	9%	9%	8%	-1%	100%
42 - राजस्व विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	90.94	39.09	28.85	53.66	34.70	28.27	29.53	44.12	34.58	79.49	52.51	2037.65	2553.37
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	2%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	3%	2%	80%	100%
43 - प्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	388.11	290.31	268.25	293.03	335.36	602.79	335.34	252.19	288.86	311.80	276.87	438.37	4081.28
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	7%	7%	7%	8%	15%	8%	6%	7%	8%	7%	11%	100%
44 - अप्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	474.34	322.07	289.43	302.20	279.66	310.09	347.23	284.05	306.25	298.48	305.71	234.36	3753.88
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	9%	8%	8%	7%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	6%	100%
45 - विनिवेश विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.88	1.32	0.70	1.37	3.91	2.04	0.65	0.44	1.00	1.44	0.42	12.71	26.90
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	5%	3%	5%	15%	8%	2%	2%	4%	5%	2%	47%	100%
46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.93	49.76	56.53	31.86	16.36	216.53	6.74	16.81	22.53	39.44	38.22	45.23	541.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	10%	6%	3%	40%	1%	3%	4%	7%	7%	8%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
47 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	405.39	4429.17	4637.80	2757.37	1077.14	3805.24	1080.62	1330.25	2046.78	753.60	3357.35	3134.51	28815.23
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	15%	16%	10%	4%	13%	4%	5%	7%	3%	12%	11%	100%
48 - आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.17	51.29	63.54	133.27	61.01	143.21	25.77	7.16	102.67	27.13	37.29	77.04	731.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	7%	9%	18%	8%	20%	4%	1%	14%	4%	5%	11%	100%
49 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	133.79	249.85	17.89	0.00	198.07	8.40	0.01	50.26	124.60	45.38	45.84	874.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	15%	29%	2%	0%	23%	1%	0%	6%	14%	5%	5%	100%
50 - एड्स नियंत्रण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.09	2.43	12.97	284.25	75.86	394.44	289.19	151.27	41.81	33.73	46.69	138.43	1473.16
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	1%	19%	5%	27%	20%	10%	3%	2%	3%	9%	100%
51 - भारी उद्योग विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.02	1.43	59.91	38.05	76.40	490.22	1.71	13.56	4.02	4.09	184.96	500.81	1377.19
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	4%	3%	6%	36%	0%	1%	0%	0%	13%	36%	100%
52 - सार्वजनिक उद्यम विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.11	1.11	0.79	0.69	2.46	2.21	1.19	0.62	0.81	1.10	2.21	1.09	15.39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	7%	5%	4%	16%	14%	8%	4%	5%	7%	14%	7%	100%
53 - गृह मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	59.10	46.54	73.36	49.48	221.28	65.63	190.18	47.43	69.40	46.07	238.39	173.17	1280.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	4%	6%	4%	17%	5%	15%	4%	5%	4%	19%	14%	100%
54 - मंत्रिमंडल													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15.62	11.48	14.18	29.76	22.94	15.86	11.26	10.03	9.77	191.66	8.39	29.10	370.06
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	3%	4%	8%	6%	4%	3%	3%	3%	52%	2%	8%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
55 - पुलिस													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5143.91	4269.60	4119.48	4052.65	3559.86	5888.77	4947.29	3605.64	3791.78	3790.27	4309.35	2895.09	50373.67
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	8%	8%	7%	12%	10%	7%	8%	8%	9%	6%	100%
56 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	153.09	50.78	186.48	143.21	131.62	368.84	147.52	102.54	112.38	112.03	150.01	221.83	1880.33
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	3%	10%	8%	7%	20%	8%	5%	6%	6%	8%	12%	100%
57 - संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	171.97	381.42	79.78	97.70	97.70	107.04	318.93	206.34	0.00	332.98	26.73	1820.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	21%	4%	5%	5%	6%	18%	11%	0%	18%	1%	100%
58 - आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.90	1.37	3.41	117.37	323.56	70.52	8.39	3.16	263.65	2.76	75.36	214.79	1086.24
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	11%	30%	6%	1%	0%	24%	0%	7%	20%	100%
59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	8462.75	4586.67	3165.64	3614.07	1128.04	6810.00	3151.86	1978.14	5191.97	1844.49	4305.11	2750.40	46989.12
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	18%	10%	7%	8%	2%	14%	7%	4%	11%	4%	9%	6%	100%
60 - उच्च शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10.41	2280.52	3043.98	1108.23	3697.04	1913.60	1116.70	2818.63	2179.35	324.62	3338.33	2701.22	24532.62
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	12%	5%	15%	8%	5%	11%	9%	1%	14%	11%	100%
61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	42.98	45.58	48.17	341.74	1049.90	416.50	65.20	37.24	57.45	46.78	45.97	630.69	2828.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	2%	12%	37%	15%	2%	1%	2%	2%	2%	22%	100%
62 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53.80	76.27	2016.56	220.24	72.02	497.92	59.31	139.38	246.63	51.57	334.76	359.95	4128.42
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	49%	5%	2%	12%	1%	3%	6%	1%	8%	9%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
63 - निर्वाचन आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7.06	3.40	3.04	12.74	2.65	3.37	4.08	9.58	5.15	4.68	4.04	5.79	65.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	5%	5%	19%	4%	5%	6%	15%	8%	7%	6%	9%	100%
64 - विधि एवं न्याय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18.42	113.55	34.92	443.13	344.77	114.46	207.62	23.61	18.47	13.11	123.47	403.93	1859.46
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	2%	24%	19%	6%	11%	1%	1%	1%	7%	22%	100%
65 - विनियोग-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16.83	12.43	10.03	10.78	9.77	12.00	12.32	11.79	10.34	10.59	10.37	6.64	133.89
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	9%	7%	8%	7%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	5%	100%
66 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	17.97	154.52	627.76	418.54	124.45	142.92	80.30	48.90	367.88	62.80	101.59	478.49	2626.12
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	24%	16%	5%	5%	3%	2%	14%	2%	4%	18%	100%
67 - खनन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	204.89	58.50	63.90	50.36	151.26	154.36	71.18	54.26	70.02	58.46	67.14	33.07	1037.41
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	20%	6%	6%	5%	15%	15%	7%	5%	7%	6%	6%	3%	100%
68 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.04	39.33	123.33	121.61	439.32	446.13	394.66	167.46	733.58	112.10	399.55	47.63	3026.74
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	4%	4%	15%	15%	13%	6%	24%	4%	13%	2%	100%
69 - नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.68	59.94	464.45	92.55	72.00	114.73	92.89	47.13	149.03	4.39	3.98	528.75	1633.52
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	4%	28%	6%	4%	7%	6%	3%	9%	0%	0%	32%	100%
70 - प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.02	1.66	13.94	8.23	3.80	6.90	3.30	12.52	4.31	3.53	5.77	18.82	84.80
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	16%	10%	4%	8%	4%	15%	5%	4%	7%	22%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्टूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
71 - पंचायती राज मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.07	1.09	7.45	130.45	113.84	1025.59	1085.85	63.80	403.30	149.25	341.90	138.49	3462.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	4%	3%	30%	31%	2%	12%	4%	10%	4%	100%
72 - संसदीय कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.37	0.89	1.07	0.76	0.79	0.88	1.01	1.08	1.24	0.84	0.90	0.54	11.36
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	8%	9%	7%	7%	8%	9%	9%	11%	7%	8%	5%	100%
73 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	70.63	92.15	68.63	77.86	73.99	102.56	90.03	66.92	77.39	69.44	70.27	87.96	947.83
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	10%	7%	8%	8%	11%	9%	7%	8%	7%	7%	9%	100%
74 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.63	1.73	22468.09	15292.11	8276.73	8245.59	281.64	325.71	493.34	8775.93	10772.18	10482.72	85418.39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	26%	18%	10%	10%	0%	0%	1%	10%	13%	12%	100%
75 - योजना मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	17.92	106.63	63.32	103.17	111.23	352.05	75.90	138.42	141.59	171.41	239.03	212.72	1733.38
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	4%	6%	6%	20%	4%	8%	8%	10%	14%	12%	100%
76 - विद्युत मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19.30	451.49	1393.47	19.59	8.42	1379.37	281.02	193.13	1028.26	110.01	335.91	293.72	5513.69
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	8%	25%	0%	0%	25%	5%	4%	19%	2%	6%	5%	100%
77 - विनियोग-कर्मचारी आवास एवं राष्ट्रपति के भत्ते													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.80	3.55	3.52	3.10	2.60	3.02	3.14	3.17	3.11	3.28	2.81	3.61	38.71
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	9%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	9%	100%
78 - लोकसभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53.45	36.75	30.79	40.69	51.07	33.96	41.50	31.17	36.31	39.84	40.99	60.06	496.57
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	6%	8%	10%	7%	8%	6%	7%	8%	8%	12%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
79 - राज्य सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27.39	28.92	17.66	22.79	21.51	21.03	19.40	17.62	24.26	19.68	32.89	45.05	298.19
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	10%	6%	8%	7%	7%	7%	6%	8%	7%	11%	15%	100%
80 - विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15.36	20.84	6.91	20.55	16.06	11.43	14.33	12.36	13.60	17.31	10.89	6.97	166.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	13%	4%	12%	10%	7%	9%	7%	8%	10%	7%	4%	100%
81 - उप-राष्ट्रपति सचिवालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.37	0.29	0.27	0.26	0.25	0.27	0.32	0.33	0.38	0.34	0.37	0.11	3.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	8%	7%	7%	8%	9%	9%	11%	9%	10%	3%	100%
82 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	91.68	1091.21	2483.83	3140.33	1037.34	4427.30	1358.04	3776.54	2755.98	1403.87	3140.21	3971.01	28677.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	4%	9%	11%	4%	15%	5%	13%	10%	5%	11%	14%	100%
83 - ग्रामीण विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7214.61	12054.82	5250.63	2721.55	5370.32	5105.94	7433.43	1712.61	2251.75	1519.90	2994.32	5036.41	58666.28
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	21%	9%	5%	9%	9%	13%	3%	4%	3%	5%	9%	100%
84 - भू-संसाधन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.16	135.87	311.18	106.75	492.16	692.81	8.49	126.31	62.74	11.62	310.46	236.39	2495.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	5%	12%	4%	20%	28%	0%	5%	3%	0%	12%	9%	100%
85 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	55.46	273.50	403.27	330.24	385.25	544.06	172.97	36.06	142.08	61.67	160.19	45.47	2610.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	10%	15%	13%	15%	21%	7%	1%	5%	2%	6%	2%	100%
86 - विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	539.39	2.64	270.42	7.33	854.40	7.77	2.21	388.17	430.15	3.26	646.84	6.95	3159.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	17%	0%	9%	0%	27%	0%	0%	12%	14%	0%	20%	0%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
87 - जैव-तकनीकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.47	127.46	129.37	128.16	131.73	289.86	50.32	46.91	117.25	90.67	48.46	127.68	1291.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	10%	10%	10%	10%	22%	4%	4%	9%	7%	4%	10%	100%
88 - पौत परिवहन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	21.87	33.09	150.18	130.78	86.64	333.04	240.59	117.28	73.47	57.57	46.89	578.78	1870.20
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	8%	7%	5%	18%	13%	6%	4%	3%	3%	31%	100%
89 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	6.67	113.74	449.23	36.16	83.37	479.61	1036.98	752.94	419.23	415.79	937.30	788.87	5519.90
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	8%	1%	2%	9%	19%	14%	8%	8%	17%	14%	100%
90 - अंतरिक्ष विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	682.18	367.21	417.74	443.73	384.20	382.32	495.32	832.81	428.34	308.78	232.95	193.37	5168.95
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	7%	8%	9%	7%	7%	10%	16%	8%	6%	5%	4%	100%
91 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	153.86	536.06	391.55	569.48	331.76	357.65	308.50	342.01	506.87	494.78	720.62	130.23	4843.37
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	11%	8%	12%	7%	7%	6%	7%	10%	10%	15%	3%	100%
92 - इस्पात मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4.37	3.53	14.15	3.65	3.36	8.99	3.81	5.87	13.95	3.32	3.47	9.54	78.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	5%	18%	5%	4%	12%	5%	8%	18%	4%	4%	12%	100%
93 - कपड़ा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	64.73	140.52	817.99	135.92	114.92	1069.79	97.23	97.65	442.20	53.28	333.01	587.74	3954.98
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	4%	21%	3%	3%	27%	2%	2%	11%	1%	8%	15%	100%
94 - पर्यटन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5.31	16.50	99.54	35.34	76.29	373.57	28.19	45.75	68.98	33.25	79.78	166.70	1029.20
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	10%	3%	7%	36%	3%	4%	7%	3%	8%	16%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
95 - जनजातीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.69	499.56	498.81	89.31	464.01	597.05	210.88	246.23	273.46	180.57	282.77	494.01	3839.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	13%	13%	2%	12%	16%	5%	6%	7%	5%	7%	13%	100%
96 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	249.12	270.90	167.14	398.26	225.94	429.51	214.87	233.10	230.78	218.17	234.54	301.97	3174.31
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	9%	5%	13%	7%	14%	7%	7%	7%	7%	7%	10%	100%
97 - चंडीगढ़													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	178.00	296.41	323.29	261.41	239.99	206.90	305.17	368.02	192.96	232.03	238.82	363.61	3206.60
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	9%	10%	8%	7%	6%	10%	11%	6%	7%	7%	11%	100%
98 - दादरा एवं नगर हवेली													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	29.58	28.82	158.65	31.26	115.51	122.59	33.91	69.54	34.63	44.29	32.01	38.66	739.46
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	21%	4%	16%	17%	5%	9%	5%	6%	4%	5%	100%
99 - दमन एवं दीव													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	216.25	88.72	141.47	93.05	111.79	259.58	104.53	116.06	85.29	83.19	90.64	40.63	1431.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15%	6%	10%	7%	8%	18%	7%	8%	6%	6%	6%	3%	100%
100 - लक्षद्वीप													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	94.40	57.76	79.43	124.08	69.30	73.04	53.07	67.91	103.16	62.80	90.76	71.86	947.57
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	6%	8%	13%	7%	8%	6%	7%	11%	7%	10%	8%	100%
101 - शहरी विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	115.74	160.23	480.29	965.13	759.06	1064.93	170.97	1470.77	150.48	127.41	1568.28	267.73	7301.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	7%	13%	10%	15%	2%	20%	2%	2%	21%	4%	100%
102 - लोक निर्माण कार्य													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	192.93	185.90	218.62	196.33	153.97	159.63	210.49	141.42	139.80	151.50	139.67	114.96	2005.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	11%	10%	8%	8%	10%	7%	7%	8%	7%	6%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
103 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27.01	17.28	17.20	16.92	35.06	16.60	23.43	16.41	17.61	16.57	15.42	5.67	225.18
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	8%	8%	8%	16%	7%	10%	7%	8%	7%	7%	3%	100%
104 – जल संसाधन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	109.51	94.31	106.00	118.01	99.11	73.22	90.91	67.02	105.86	69.50	100.77	60.49	1094.71
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	10%	11%	9%	7%	8%	6%	10%	6%	9%	6%	100%
105 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9.54	2954.18	2672.48	2358.26	4390.76	818.92	724.08	546.19	1307.16	92.35	286.81	1877.85	18038.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	16%	15%	13%	24%	5%	4%	3%	7%	1%	2%	10%	100%
106 – युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.54	86.05	139.63	137.20	69.35	246.55	76.41	18.19	86.72	143.57	39.00	97.57	1143.78
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	8%	12%	12%	6%	22%	7%	2%	8%	13%	3%	9%	100%
माह के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	401714.53	423668.57	426716.29	459894.08	457293.20	453725.05	377155.74	423973.95	401829.07	381324.22	396587.37	524956.53	5128838.61
योजना व्यय का कुल प्रतिशत	8%	8%	8%	9%	9%	9%	7%	8%	8%	7%	8%	10%	100%

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनमें लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2013-14 में कार्यान्वित किया गया था तथा जिसमें मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को बुक किया गया था।

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ हजार में)		
1.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	803501	801232	100*
2.	2416- कृषि वित्त संस्थान	60811292 ¹	60841830	100*
3.	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	988671	983121	99
4.	2801- बिजली	87825099	43625036	50
5.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	2033503	2009353	99
6.	2875- अन्य उद्योग	5681426	3038000	53
7.	3053- नागरिक उड्डयन	10001867	9034707	90
8.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	125702	77641	62
9.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	12094	11600	96
10.	4405-मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	148706	80407	54
11.	4552- पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूँजीगत परिव्यय	836803	634700	76
12.	4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	3449587	3449587	100
13.	4859- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	179369	139369	78
14.	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2165280	2118926	98
15.	5453- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन पर पूँजीगत परिव्यय	8496418	7896418	93
16.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	9545503	5994783	63
	कुल	193104821	140736710	

* पूर्णांकित प्रतिशत

¹ ₹ 6,49,506 हजार के अधिक भुगतान के वसूली को घटाने के कारण मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत बुक व्यय से कम है।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.1.3 के संदर्भ में)

सरकारी लेखों के बाहर पड़े नियामकों/स्वायत्त निकायों के कोष

क्र.सं.	नियामकों/स्वायत्त निकायों के नाम	निवेशों/पूँजीगत निधि के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1574.48
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	अधिशेष निधि	1131.84
3.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	पूँजीगत/समग्र निधि	3.08
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	1. स्वसंसाधन निवेश 2. भवन निधि	312.52
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वसंसाधन निवेश	88.92
6.	भारतीय औषधि परिषद्	1. भवन निधि 2. व्यावसायिक विकास निधि 3. उच्च दर पर ब्याज प्राप्त करने हेतु	20.04
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	स्वसंसाधन निवेश निधि	61.32
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	अनुप्रयोग निधि	1.05
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	लोक जमा लेखे	5.51
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	पूँजीगत/समग्र निधि	58.30
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक में एफ.डी.आर. जनरल	681.50
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाते	831.24
13.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	एफ.डी.आर./जी.आर.एफ.	1141.08
14.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्	सावधि जमा (परीक्षा निधि)	6.56
कुल			5917.44

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.3.6 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों/ अन्यों जमाओं को दर्शाती हुई विवरणी

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधि-निवेश लेखे	आरक्षित	10,99	2001-02
2.	8116.XXX- रेलवे शाखा लाईन कंपनियों को ऋण	आरक्षित	11,77	2001-02
3.	8116.105-दूरसंचार राजस्व आरक्षित निधि	आरक्षित	82,91,70	2001-02
4.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत आरक्षित निधि	आरक्षित	6	2001-02
5.	8121.119-स्टाफ हितलाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	आरक्षित	1,00	1999-2000
6.	8121.111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	आरक्षित	1,30,75	2006-07
7.	8223.101-अकाल सहायता निधि	आरक्षित	3	2008-09
8.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	आरक्षित	7	2002-03
9.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधि	आरक्षित	60	2002-03
10.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	आरक्षित	1,02	2002-03
11.	8229.117 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिक कोर निधि	आरक्षित	3,25,13	2002-03
12.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	आरक्षित	581,12,02	2008-09
13.	8230.102-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	आरक्षित	16,66,24	2007-08
14.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित	75,86	2008-09
15.	8235.104-रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	आरक्षित	40,74,41	2003-04
16.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	आरक्षित	2,61,32,01	2005-06
17.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियाँ	आरक्षित	17,70,20	2008-09
18.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि	जमा	65,12	2001-02

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
	निवेश लेखा			
19.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	1,31	2008-09
20.	8342.110-दूरभाष आवेदन जमा	जमा	2,23,98,01	2005-06
21.	8342.111-टैलेक्स आवेदन जमा	जमा	7,93,06	2003-04
22.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा पर जमा	जमा	1,69,47	2001-02
23.	8342.108-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,21,61	2001-02
24.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	15,25,27	1988-89
25.	8443.122-खदान श्रमिक कल्याण जमा	जमा	23,35	1988-89
26.	8443.127-पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	21,07	1996-97
27.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
28.	8445.102-ब्रांच लाईन कम्पनियों के जमा	जमा	65	1992-93
29.	8448.103-छावनी निधि	जमा	1	2000-01
30.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	जमा	52	1988-89
31.	8448-स्थानीय निधियों के जमा 120-अन्य निधियाँ	जमा	2,26	2004-05
32.	8449.104-खादान भविष्य निधियों के जमा	जमा	16,01	1988-89
33.	8449.106-भारत-अमेरिका समझौता 1974 के अन्तर्गत खाते	जमा	16	1991-92
34.	8449.107-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,33,93	1991-92
35.	8449.108-ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	32,97	2000-01
36.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि	जमा	3,66,13	1999-2000
37.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अग्रिम जमा	जमा	1,03,60	1995-96
38.	8450.101-पांडिचेरी का शेष	जमा	40,12,90	2008-09

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
39.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष	जमा	16,30,26	1988-89
40.	8450.104-अरुणाचल प्रदेश का शेष	जमा	56,82,51	1988-89
41.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1,24,41,38	1988-89
42.	8009.01.103-आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	2,01	1999-2000
43.	8010.105-अन्य ट्रस्ट	अन्य देयताएं	19,23	1999-2000
44.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा का विन्यास	अन्य देयताएं	91,04	1992-93
45.	8010.104-धर्मार्थ एवं शिक्षण संस्थाओं हेतु विन्यास	अन्य देयताएं	12	2008-09
46.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	6,10	2008-09
47.	8012.103-रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	162,83,05	1988-89
कुल			16654710	

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों आदि के लिए उचंत लेखा में शेष राशि (2005 से)

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	परिवार स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
3.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराइट्स फॉस्फेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	1	13138
8.	रेल कॉयल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूर संचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	341
13.	भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
14.	गृह मंत्रालय	1	2255
15.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
16.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय-तकनीकी	3	15292
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
18.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
19.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
20.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
21.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
22.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
23.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
24.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
25.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आन्ध्र प्रदेश	1	47476
26.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	1	672356
27.	कृषको वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
28.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग	1	4560
	कुल	45	2071293

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरण सं. 13				
1.	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट 18518233	2009-10
2.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट 17909001	2009-10
3.	8229.00.121	निष्पादन पुरस्कार निधि	डेबिट 38	2013-14
4.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 1941602	2007-08
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट 464250	2006-07
6.	8445.00.104	रेलवे जमा-न्यास ब्याज खाता	डेबिट 198265	2005-06
7.	8445.00.800	रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट 11235792	2005-06
8.	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट 144456	2005-06
9.	8448.00.102	स्थानीय निधि जमा निगम निधियाँ	डेबिट 3	2007-08
10.	8448.00.104	स्थानीय निधियों के जमा-भारतीय बीमा संघ की निधियाँ	डेबिट 291	1976-77, से पूर्व
11.	8451.00.101	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधियाँ	डेबिट 9313410	2005-06
12.	8451.00.102	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	क्रेडिट 9218721	2005-06
13.	8550.00.101	वन अग्रिम	क्रेडिट 15887	2013-14
14.	8550.00.103	अन्य विभागीय अग्रिम	क्रेडिट 129148	2013-14
15.	8670.00.110	इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट 44380	2013-14
16.	8670.00.111	चेक एवं बिल लेखा एवं संवितरण कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट 6379554	2011-12
विवरण सं.-14				
17	6002.00.207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट 858540	2000-01

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
18	6002.00.208	फ्रांस सरकार से ऋण	डेबिट	16912526	2000-01
19	6002.00.223	स्विस संघीय सरकार और स्विस बैंक से ऋण	डेबिट	147944	2010-11
20	6002.00.226	अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, सं.रा.अ. से ऋण	डेबिट	7993721	1995-96
21	6002.00.227	पी.एल.-480 के अंतर्गत यू.एस.ए. सरकार से कर्जा परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा जमा के अधीन	डेबिट	5243700	1995-96
विवरण सं.-14 A					
22	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी की गई प्रतिभूतियां	डेबिट	404339	2010-11
23	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट	200120	2002-03
24	6001.00.106	क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋणपत्र-7% बचत ऋणपत्र 2002	डेबिट	135646	2009-10
विवरण सं.-15					
25.	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
26.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	19307	2001-02
27.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	2	2008-09
28.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	11934	2010-11
29.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
30.	6245.01.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
31.	6245.02.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
32.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रेडिट	7656	1995-96
33.	6402.00.203	भूमि-पुर्नूद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
34.	6404.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	4642331	2004-05
35.	6405.00.106	मत्स्यन नौकाओं का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2006-07

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
36.	6416.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	212775	2012-13
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	3978040	2003-04
38.	6515.00.102	समुदाय विकास	क्रेडिट	173	1986-87
39.	6801.00.201	जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	3068415	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रेडिट	1312491	2005-06
41.	6851.00.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	4638	2006-07
42.	7052.02.101	पोत-परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रेडिट	2941305	2011-12
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	377537	2010-11
44.	7425.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	3074	2005-06
45.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रेडिट	25000	2011-12
46.	7601.01.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2012-13
47.	7601.03.413	सहकारिता-अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4184	2012-13*
48.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण -मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	2123	2012-13*
49.	7601.03.576	पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट	11	2012-13*
50.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	29	2012-13*
51.	7601.03.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	139	2012-13*
52.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	71707	2012-13*
53.	7601.03.787	समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं-अन्य ऋण	क्रेडिट	1239	2012-13*
54.	7601.04.267	जल आपूर्ति-अन्य ऋण	क्रेडिट	149604	2012-13*
55.	7601.04.312	शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट	191427	2012-13*
56.	7601.04.360	अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण-अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13*
57.	7601.04.411	सहयोग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	32522	2012-13*

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
			शीर्ष	(₹ हजार में)	
58.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	1686	2012-13*
59.	7601.04.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसले	क्रेडिट	131283	2012-13*
60.	7601.04.443	फसल कार्य-अन्य ऋण	क्रेडिट	336715	2012-13*
61.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	96229	2012-13*
62.	7601.04.579	पशु-पालन-भेड़ एवं ऊन विकास	क्रेडिट	175	2012-13*
63.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	36	2012-13*
64.	7601.04.726	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट	6960	2012-13*
65.	7601.04.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	853	2012-13*
66.	7601.04.729	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-कयर उद्योग	क्रेडिट	354	2012-13*
67.	7601.04.747	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट	1088	2012-13*
68.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4730	2012-13*
69.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग- सड़क कार्य	क्रेडिट	17910	2012-13*
70.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट	555	2012-13*
71.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13*
72.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	1580	2012-13
73.	7602.04.412	सहोद्योग-उपभोक्ता सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	14	2012-13
74.	7605.00.071	मोजाम्बिक सरकार को ऋण	क्रेडिट	1	2012-13
75.	7605.00.094	मॉरिशस सरकार को ऋण	क्रेडिट	24670	2012-13
76.	7610.00.203	अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	क्रेडिट	388530	2004-05

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरण सं.16					
77	8002.00.103	राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
78	8002.00.105	बचत प्रमाण पत्र-बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08

*प्रतिकूल शेष का कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शेष राशियों को बड़े खाते डालने का निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने हेतु लंबित रहना था।।

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.5 के संदर्भ में)

वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की उपलब्धता

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2012-13
2.	शीत- सह हिमीकरण, संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी पानी बोर्ड, मुंबई	2010-11
रक्षा मंत्रालय		
5.	कैटीन भंडारण विभाग	2013-14
वित्त मंत्रालय		
6.	सरकारी क्षारोद निर्माण, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारोद निर्माण, गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, राँची	2011-12
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
12.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	2009-10
13.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
ऊर्जा मंत्रालय		
14.	विद्युत विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2011-2012
15.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2009-10
नौपरिवहन मंत्रालय		
16.	दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
17.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
18.	पोत परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
19.	समुद्री विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
20.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
21.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2013-14
शहरी विकास मंत्रालय		
22.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे
23.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली	2011-12
24.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली	2011-12

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
25.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
26.	भारत सरकार मुद्रणालय, निलोखेड़ी	2011-12
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद	2011-12
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला	2011-12
29.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2012-13
30.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, भुवनेश्वर	2007-08
31.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, मैसूर	2011-12
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2011-12
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी	2012-13
34.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2012-13
35.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2011-12
36.	भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, चंडीगढ़	2011-12
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
38.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.6 के संदर्भ में)

2013-14 के दौरान कुल बड़े खाते/माफ किए गए हानियों एवं अप्राप्य बकायों का विवरण

(₹लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्राप्य बकायों को बड़े खाते में डालने के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/जालसाजी आदि		अन्य कारण		वसूली से छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	22	12.03	0	0	0	0
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	7	0.37	0	0	0	0
लोक सभा सचिवालय	0	0	0	0	1	0.06	0	0	0	0
जल संसाधन मंत्रालय	0	0	0	0	34	0.81	0	0	0	0
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0	0
कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	0	0	0	0	1	0.35	0	0	0	0
विद्युत मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0	0
उपायुक्त, उत्तरी एवं मध्य अण्डमान, मायाबुन्दर	0	0	0	0	0	0	0	0	6099	126.95
उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान	0	0	0	0	0	0	0	0	7997	187.65
पोतपरिवहन मंत्रालय	0	0	0	0	4	1.27	0	0	2	0.20
गृह मंत्रालय	0	0	0	0	3	12.50	0	0	0	0
रक्षा मंत्रालय	3	1.09	11	9.02	34	122.96	-	-	03	10.02
कुल	3	1.09	11	9.02	106	150.35	2	0.04	14106	331.82
बड़े खाते मामले में डाली गई हानियां: मामले-120 राशि ₹160.46							माफ की गई वसूली एवं अनुग्रह भुगतान: मामले 14108; राशि ₹ 331.86			

अनुबंध 3.1
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क – सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	983713.42	40468.74	1024182.16	913172.25	(-) 111009.91
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	190317.09	7691.20	198008.29	101220.20	(-) 96788.09
योग	1174030.51	48159.94	1222190.45	1014392.45	(-) 207798.00
प्रभारित					
III. राजस्व	451533.83	15682.40	467216.23	453259.37	(-) 13956.86
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4026298.92	112.29	4026411.21	3522406.01	(-) 504005.20
योग	4477832.75	15794.69	4493627.44	3975665.38	(-) 517962.06
कुल योग	5651863.26	63954.63	5715817.89	4990057.83	(-) 725760.06
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			120951.06	99599.58	
कुल निवल प्रावधान			5594866.83		
कुल निवल संवितरण				4890458.25	

ख – डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	16875.97	0.00	16875.97	16796.44	(-) 79.53
II. पूंजीगत	433.31	0.00	433.31	268.30	(-) 165.01
योग	17309.28	0.00	17309.28	17064.74	(-) 244.54
प्रभारित					
III. राजस्व	0.20	0.22	0.42	0.27	(-) 0.15
IV. पूंजीगत	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00
योग	0.20	0.89	1.09	0.94	(-) 0.15
कुल योग	17309.48	0.89	17310.37	17065.68	(-) 244.69
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			680.58	593.19	
कुल निवल प्रावधान			16629.79		
कुल निवल संवितरण				16472.49	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
ग- रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	122472.65	8182.30	130654.95	130482.32	(-) 172.63
II. पूंजीगत	86685.29	0.02	86685.31	79092.91	(-) 7592.40
योग	209157.94	8182.32	217340.26	209575.23	(-) 7765.03
प्रभारित					
III. राजस्व	69.44	183.42	252.86	181.14	(-) 71.72
IV. पूंजीगत	55.42	0.00	55.42	32.15	(-) 23.27
योग	124.86	183.42	308.28	213.29	(-) 94.99
कुल योग	209282.80	8365.74	217648.54	209788.52	(-) 7860.02
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			646.08	773.26	
कुल निवल प्रावधान			217002.46		
कुल निवल संवितरण				209015.26	
घ-रेलवे					
दत्तमत					
	256939.00	7022.27	263961.27	253579.94	(-) 10381.33
प्रभारित					
	306.22	127.39	433.61	358.81	(-) 74.80
योग	257245.22	7149.66	264394.88	253938.75	(-) 10456.13
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			110619.22	83652.48	
कुल निवल प्रावधान			153775.66		
कुल निवल संवितरण				170286.27	
योग					

योग	दत्तमत	1657436.73	63364.53	1720801.26	1494612.36	(-) 226188.90
भा.सं.नि.	प्रभारित	4478264.03	16106.39	4494370.42	3976238.42	(-) 518132.00
कुल योग भा.सं.नि.		6135700.76	79470.92	6215171.68	5470850.78	(-) 744320.90
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				232896.94	184618.51	48278.43
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				5982274.74	5286232.27	696042.47
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					0.00	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					5286232.27	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

अनुबंध 3.2
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क – सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	111045.80	96791.04	35.89	2.95	(-) 111009.91	(-) 96788.09
अनुदानों की संख्या	92	67	1	1	--	--
प्रभारित (₹करोड़ में)	13957.61	504005.20	0.75	0.00	(-) 13956.86	(-) 504005.20
विनियोगों की संख्या	30	12	1	--	--	--
ख – डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	79.53	165.01	--	--	(-) 79.53	(-) 165.01
अनुदानों की संख्या	1	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	0.15	0.00	--	--	(-) 0.15	(-) 0.00
विनियोगों की संख्या	1	--	--	--	--	--
ग – रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	905.49	7592.40	732.86	--	(-) 172.63	(-) 7592.40
अनुदानों की संख्या	2	1	3	--	--	--
प्रभारित (₹करोड़ में)	72.58	23.27	0.86	--	(-) 71.72	(-) 23.27
विनियोगों की संख्या	4	1	1	--	--	--
घ – रेलवे						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	8231.17	4834.53	1854.70	829.68	(-) 6376.47	(-) 4004.85
अनुदानों की संख्या	9	1	6	1	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	110.05	0.13	22.40	12.98	(-) 87.65	12.85
विनियोगों की संख्या	1	1	10	1	--	--

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण				
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

**निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
11 - वाणिज्य विभाग				
1.	2407.01.789.01-चाय बोर्ड	मू. सं. 20.00 (-)18.60	10.00	8.60
2.	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	मू. सं. 121.35 (+)10.90	142.24	9.99
14 - दूरसंचार विभाग				
3.	2071.01.101.01-सामान्य पेंशन	मू. अ. सं. 2938.00 336.27 (+)6.18	3322.99	42.54
20 - रक्षा मंत्रालय				
4.	2037.00.102.06- तटरक्षक संगठन	मू. सं. 1054.81 (-)36.68	1047.73	29.60
5.	2052.00.092.02- रक्षा लेखा विभाग (र.ले.वि.)	मू. सं. 1137.41 (-)111.16	1037.14	10.89
6.	2055.00.104.02- ज. एवं क. लाईट इंफैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार	मू. सं. 885.32 (-)70.30	873.25	58.23
7.	4047.00.037.01- तटरक्षक संगठन	मू. सं. 1775.00 (-)715.00	1070.22	10.22
21 - रक्षा पेंशन				
8.	2071.02.101.01 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. सं. 38542.47 683.06 (+)81.44	39394.52	87.55
9.	2071.02.102.03 -अवकाश नकदीकरण	मू. अ. सं. 184.14 0.26 (-)21.41	168.56	5.57

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
10.	2071.02.103.03 - अवकाश नकदीकरण	मू. 183.78 अ. 33.92 सं. (+)43.97	277.45	15.78
32 - विदेश मंत्रालय				
11.	2061.00.101.01 - प्रबंधन तथा स्थापना	मू. 1683.22 अ. 0.0025 सं. (+)173.99	1975.86	118.65
12.	2061.00.103.01 - विवेकाधीन व्यय	मू. 1319.99 अ. 0.0025 सं. (+)100.00	1432.08	12.09
35 - विनियोग - ब्याज भुगतान				
13.	2049.03.104.01 - सामान्य भविष्य निधि	मू. 5662.60 अ. 310.80	5982.69	9.29
14.	2049.03.109.09 - कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशेष जमा	मू. 773.33	841.00	67.67
15.	2049.03.110.01 - भारत श्रेणी के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. 37.76 सं. (-)30.76	14.67	7.67
16.	2049.05.103 - रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. 141.67 सं. (+)57.09	206.84	8.08
17.	2049.05.105.01 - रेलवे पेंशन निधि	मू. 13.67 सं. (-)13.02	10.35	9.70
18.	2049.05.105.04 - रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	मू. 33.43 सं. (-)31.30	14.63	12.50
19.	2049.05.105.08 - मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज	मू. 62.00 सं. (-) 27.99	68.01	34.00
38 - विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान				
20.	6001-.00.115-14 दिवसीय खजाना बिल	मू. 2413650.00 सं. (-)233650.00	2183501.92	3501.92

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
40 -पेंशन					
21.	2071.01.101.01-सामान्य पेंशन	मू. अ. सं.	11110.10 (+)687.00	11932.83	135.73
22.	2071.01.102.01- सामान्य पेंशन	मू. सं.	1750.00 (-)150.00	1610.76	10.76
23.	2071.01.104.01- सामान्य पेंशन	मू.	2300.00	2327.25	27.25
24.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. अ. सं.	2513.05 779.00 (+)162.43	3477.59	23.11
44 -अप्रत्यक्ष कर					
25.	2037.00.102.05 राजस्व आसूचना निदेशालय	मू. अ. सं.	62.05 0.01 (+)1.60	70.91	7.25
47 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
26.	2211.00.109.07- दवाईयों एवं उपकरणों का प्रापण (टीकों आदि के अलावा)	मू. सं.	287.50 (-)213.40	83.73	9.63
27.	3601.04.796.03-प.क. निर्देशन एवं प्रशासन	मू. सं.	537.13 (-)20.41	527.40	10.68
55 - पुलिस					
28.	2055.00.001.07- अप्रवास ब्यूरो	मू. अ. सं.	220.71 25.01 (-)1.06	255.00	10.34
29.	2055.00.119.01- निर्देशन एवं प्रशासन	मू. अ. सं.	3882.19 141.19 (-)3.29	4070.27	50.18
30.	4055.00.201.02-आवासीय इमारतें	मू. अ. सं.	144.93 0.01 (+)2.49	159.30	11.87
31.	4055.00.213.01-कार्यालय भवनों	मू. सं.	273.04 (-)163.00	123.18	13.14

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
32.	3601.04.187.06-राज्यों को सहायता	मू. सं.	8005.16 (-831.73)	7257.71 84.28
62 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				
33.	2230.01.111.05-असंगठित क्षेत्र श्रमिक योजना हेतु सामाजिक सुरक्षा	मू. सं.	790.30 (-134.68)	662.67 7.05
82 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
34.	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	मू. सं.	158.60 (-32.26)	140.73 14.39
35.	3054.02.800.02- सड़क कार्य	मू. अ. सं.	88.58 0.01 (-6.59)	87.43 5.43
93 - वस्त्र मंत्रालय				
36.	2852.08.600.04-जूट	मू. अ. सं.	62.79 0.02 (+66.40)	143.94 14.73
95 - जनजातीय कार्य मंत्रालय				
37.	3601.04.796.27-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा (प्रभारित)	मू. सं.	1004.39 (-4.57)	1008.10 8.28
102 -लोक निर्माण कार्य				
38.	2059.01.104.01-स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों एवं करों का भुगतान	मू. सं.	142.00 (+6.93)	167.32 18.39
39.	4059.01.051.01-भवन	मू. सं.	154.00 (-25.99)	134.32 6.31
104 -जल संसाधन मंत्रालय				
40.	2701.80.002.01-केन्द्रीय जल आयोग	मू. सं.	95.02 (-12.18)	88.64 5.80

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	
105 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
41.	2235.02.102.18-समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.)	मू. सं.	42.00 (-)24.01	24.07	6.08
डाक सेवाएं					
13 - डाक विभाग					
42.	3201.01.101.01-परिमण्डल कार्यालय	मू. सं.	215.66 (+)0.37	223.55	7.52
43.	3201.01.101.03-डाक प्रभाग	मू. सं.	384.61 (+)22.85	458.33	50.87
44.	3201.01.101.04-रे.डा.से. प्रभाग	मू. सं.	77.26 (-)0.40	87.64	10.78
45.	3201.02.103.01-रेल	मू. सं.	99.53 (-)8.88	98.40	7.75
46.	3201.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	मू. सं.	217.12 (-)176.05	48.07	7.00
47.	3201.03.101.03-मुख्य डाक घरों में लघु बचत कार्य	मू. सं.	250.31 (-)45.14	216.47	11.30
48.	3201.03.101.08-डाक जीवन बीमा शाखा परिमण्डल कार्यालय	मू. सं.	58.83 (+)3.91	70.89	8.15
49.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू.	70.00	84.57	14.57
50.	3201.05.053.03-भवन स्थापना	मू. सं.	41.41 (+)1.83	48.59	5.35
51.	3201.07.101.03-पहले के संयुक्त डा.एवं दू. के पेंशनरों को भुगतान	मू. सं.	8.20 (+)3.80	18.56	6.56
52.	3201.60.102.02- अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता समूह बीमा पर ब्याज	मू.	10.00	16.37	6.37
53.	5201.00.104.08-डाक घरों का आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण -दत्तमत	मू. सं.	242.02 (-)58.81	193.53	10.32

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
54.	5201.00.101.03-सामान्य सेवाओं हेतु डाक मोटर वाहन	मू. सं. 15.00 (-)-10.64	9.45	5.09
रक्षा सेवाएं				
23 - रक्षा सेवाएं- नौ सेना				
55.	2077.00.106 - मरम्मत एवं दुरस्ती	मू. सं. 710.00 (-)-153.08	592.63	35.71
56.	2077.00.110 - भण्डार	मू. अ. सं. 4053.38 507.50 (+)-25.00	4618.95	33.07
57.	2077.00.111 - निर्माण कार्य	मू. अ. सं. 749.01 66.02 (+)-165.38	1030.22	49.81
58.	2077.00.800 - अन्य व्यय	मू. सं. 348.50 (+)-1.00	368.01	18.51
24 -रक्षा सेवाएं-वायु सेना				
59.	2078.00.104 - गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. सं. 895.76 31.24 (+)-0.05	950.31	23.26
60.	2078.00.105 - परिवहन	मू. सं. 851.45 (-)-215.37	661.28	25.20
26 -रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास				
61.	2080.00.111 - निर्माण कार्य	मू. अ. सं. 552.10 61.20 (+)-50.00	669.10	5.80
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय				
62.	4076.01.050 -भूमि	मू. सं. 141.00 (-)-33.25	114.11	6.36
63.	4076.01.103 -अन्य उपकरण	मू. सं. 9757.86 (-)-2047.86	7724.39	14.39
64.	4076.02.050 -भूमि (दत्तमत)	मू. सं. 20.00 (-)-14.34	20.84	15.18

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
65.	4076.02.104 - संयुक्त स्टाफ	मू. सं. 738.11 (-)104.48	650.34	16.71
66.	4076.02.202 - निर्माण कार्य	मू. सं. 641.25 (-)158.19	515.65	32.59
67.	4076.02.205 -नौसैनिक डॉक्यार्ड	मू. सं. 2011.17 (-)1419.52	632.33	40.68
68.	4076.03.050 -भूमि	मू. सं. 90.00 (-)85.00	43.79	38.79
			कुल	5048.92

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व-दत्तमत				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	22299.40	3317.48	15
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	5729.20	849.26	15
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2534.50	394.49	16
4.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	6636.39	197.70	03
5.	05-नाभकीय विद्युत योजना विभाग	4054.87	289.19	07
6.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1332.98	124.25	09
7.	07-उर्वरक विभाग	72629.72	1326.67	02
8.	11-वाणिज्य विभाग	4441.85	129.38	03
9.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	1509.32	175.27	12
10.	14-दूरसंचार विभाग	12629.14	2010.10	16
11.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2872.50	849.55	30
12.	16-उपभोक्ता मामला विभाग	582.95	152.13	26
13.	19-सांस्कृतिक मंत्रालय	2125.06	165.17	08
14.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1847.98	193.80	10
15.	29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15265.70	3324.67	22
16.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1492.54	334.54	22
17.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2815.66	715.93	25
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	10291.10	188.59	02
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	11468.99	746.54	07
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	101945.69	17698.36	17
21.	42-राजस्व विभाग	10117.20	7536.54	74
22.	43-प्रत्यक्ष कर	3771.91	136.63	04
23.	44-अप्रत्यक्ष कर	3860.78	129.40	03
24.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	719.14	177.20	25
25.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	33012.35	5474.46	17
26.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1249.62	533.77	43

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
27.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1008.02	133.94	13
28.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	1782.01	309.03	17
29.	51-भारी उद्योग विभाग	930.97	382.86	41
30.	53-गृह मंत्रालय	2108.55	876.91	42
31.	55-पुलिस	45609.12	1599.04	04
32.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1969.15	128.76	07
33.	57-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2263.43	524.80	23
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1468.06	381.82	26
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	77130.05	10152.69	13
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	26950.08	2417.46 ¹	09
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	3006.89	200.12	07
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5254.97	849.56	16
39.	64-विधि एवं न्याय	1971.17	112.77	06
40.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3210.95	660.26	21
41.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3410.99	384.25	11
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2648.21	1214.03	46
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	7200.70	3738.62	52
44.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	85566.13	147.74	0.17
45.	75-योजना मंत्रालय	7181.53	5798.92	81
46.	76-विद्युत मंत्रालय	8045.87	4309.22	54
47.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	17203.60	533.44	03
48.	83-ग्रामीण विकास विभाग	113304.88	15817.28	14
49.	84-भू-संसाधन विभाग	5772.86	3276.92	57
50.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3372.22	776.36	23
51.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3561.31	409.77	12
52.	87-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1502.07	210.75	14
53.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	1691.64	200.60	12
54.	89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	6420.37	1203.02	19
55.	90-अंतरिक्ष विभाग	3052.21	324.53	11

¹ वि.अ.आ. ने वर्ष 2014-15 के लिए 25 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अग्रिम अनुदान के रूप में ₹594.58 करोड़ जारी किए।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
56.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4949.36	109.59	02
57.	93-वस्त्र मंत्रालय	5519.98	1592.79	29
58.	94-पर्यटन मंत्रालय	1355.32	328.12	24
59.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	443.74	146.39	33
60.	97-चण्डीगढ़	2922.51	120.73	04
61.	101-शहरी विकास विभाग	1281.32	166.59	13
62.	104-जल संसाधन मंत्रालय	1902.13	906.47	48
63.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	20640.02	2601.43	13
राजस्व-प्रभारित				
64.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	400500.66	5301.07	01
65.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	62134.40	8229.86	13
66.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3856.58	375.08	10
पूंजीगत -दत्तमत				
67.	04-परमाणु ऊर्जा	4111.36	1180.55	29
68.	07-उर्वरक विभाग	253.48	253.48	100
69.	10-कोयला मंत्रालय	1722.00	961.00	56
70.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	311.00	302.00	97
71.	14-दूरसंचार विभाग	2510.30	2293.77	91
72.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1838.42	742.03	40
73.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	353.01	128.56	36
74.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	201.13	110.98	55
75.	33-आर्थिक कार्य विभाग	69431.73	63462.80	91
76.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	30900.40	14017.40	45
77.	43-प्रत्यक्ष कर	590.00	144.00	24
78.	44-अप्रत्यक्ष कर	149.26	126.95	85
79.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2862.69	1585.55	55
80.	51-भारी उद्योग विभाग	987.66	158.58	16
81.	55-पुलिस	9106.00	2760.84	30
82.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	120.00	120.00	100
83.	75-योजना मंत्रालय	900.00	549.23	61
84.	76-विद्युत मंत्रालय	2918.05	1141.02	39

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
85.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	32264.15	2950.74	09
86.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	658.42	279.27	42
87.	90-अंतरिक्ष विभाग	3738.96	1297.91	35
88.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	671.82	272.19	41
89.	97-चण्डीगढ़	549.19	163.77	30
90.	101-शहरी विकास विभाग	6945.08	863.04	12
पूँजीगत-प्रभारित				
91.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	12000.00	1000.25	08
92.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	4014248.55	502957.23	13
रक्षा सेवाएं				
राजस्व-दत्तमत				
93.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	88599.71	879.63	01
पूँजीगत-दत्तमत				
94.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	86685.31	7592.40	09
डाक सेवाएं				
पूँजीगत-दत्तमत				
95.	13-डाक विभाग	433.31	165.01	38
रेलवे				
राजस्व-दत्तमत				
96.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	5920.43	276.77	05
97.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	9477.84	308.22	03
98.	9-परिचालन व्यय-यातायात	17173.95	388.88	02
99.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएं	4816.69	311.40	06
100.	12-विविध कार्य व्यय	4889.00	694.65	14
101.	14-निधियों को विनियोग-मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूँजीगत निधि एवं ऋण सेवा निधि	42661.80	6156.40	14

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
पूँजीगत-दत्तमत				
102.	16-परिसम्पत्तियों-अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधियों	16249.85	4788.64	29
		कुल	745509.80	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
सिविल					
राजस्व (दत्तमत)					
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	2011-12	17450.74	745.54	04
		2012-13	20466.80	2480.33	12
		2013-14	22299.40	3317.48	15
2.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2011-12	2021.25	373.79	18
		2012-13	2338.60	197.69	8
		2013-14	2534.50	394.49	16
3.	परमाणु ऊर्जा	2011-12	5636.46	242.10	04
		2012-13	5564.05	233.31	04
		2013-14	6636.39	197.70	03
4.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2011-12	1419.83	145.26	10
		2012-13	1764.00	100.78	06
		2013-14	1332.98	124.25	09
5.	वाणिज्य विभाग	2011-12	5629.41	1891.18	34
		2012-13	4054.85	186.76	05
		2013-14	4441.85	129.38	03
6.	औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	2011-12	1481.05	247.33	17
		2012-13	1494.19	173.78	12
		2013-14	1509.32	175.27	12
7.	दूरसंचार विभाग	2011-12	8745.83	111.54	01
		2012-13	11587.39	3985.03	34
		2013-14	12629.14	2010.10	16
8.	यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2011-12	2871.23	936.08	33
		2012-13	2877.54	1117.86	39
		2013-14	2872.50	849.55	30
9.	उपभोक्ता मामला विभाग	2011-12	588.40	104.04	18
		2012-13	614.42	135.60	22
		2013-14	582.95	152.13	26
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2011-12	1631.58	107.71	07
		2012-13	1750.33	236.34	14
		2013-14	1847.98	193.80	10
11.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	2011-12	11005.24	1007.54	09
		2012-13	14005.25	925.97	07
		2013-14	15265.70	3324.67	22
12.	भू-विज्ञान मंत्रालय	2011-12	1284.96	211.33	16
		2012-13	1464.45	406.00	28
		2013-14	1492.54	334.54	22
13.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2011-12	2661.36	500.85	19
		2012-13	3012.34	1091.15	36
		2013-14	2815.66	715.93	25

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
14.	आर्थिक कार्य विभाग	2011-12	8070.63	984.86	12
		2012-13	9199.72	1587.03	17
		2013-14	10291.10	188.59	02
15.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2011-12	16391.96	9880.35	60
		2012-13	8535.26	1270.16	15
		2013-14	11468.99	746.54	07
16.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2011-12	91403.62	8476.79	09
		2012-13	105786.55	21476.42	20
		2013-14	101945.69	17698.36	17
17.	राजस्व विभाग	2011-12	13339.02	8082.07	61
		2012-13	1167.05	371.53	32
		2013-14	10117.20	7536.54	74
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2011-12	26912.38	2130.62	8
		2012-13	30685.78	5109.84	17
		2013-14	33012.35	5474.46	17
19.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग	2011-12	1064.08	303.75	29
		2012-13	1161.23	406.04	35
		2013-14	1249.62	533.77	43
20.	एड्स नियंत्रण विभाग	2011-12	1699.00	385.32	23
		2012-13	1751.56	436.85	25
		2013-14	1782.01	309.03	17
21.	गृह मंत्रालय	2011-12	4921.61	1828.47	37
		2012-13	2925.38	1345.01	46
		2013-14	2108.55	876.91	42
22.	संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2011-12	2058.29	641.90	31
		2012-13	2154.89	305.68	14
		2013-14	2263.43	524.80	23
23.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2011-12	1107.63	147.14	13
		2012-13	1163.01	226.46	19
		2013-14	1468.06	381.82	26
24.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2011-12	60158.65	1009.08	02
		2012-13	70559.80	4691.40	07
		2013-14	77130.05	10152.69	13
25.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2011-12	21981.74	2335.60	11
		2012-13	25379.08	4868.65	19
		2013-14	26950.08	2417.46	09
26.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2011-12	3789.20	299.77	08
		2012-13	4634.46	807.90	17
		2013-14	5254.97	849.56	16
27.	विधि एवं न्याय	2011-12	1417.28	391.64	28
		2012-13	1515.60	331.98	22
		2013-14	1971.17	112.77	06
28.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2011-12	2834.54	672.31	24
		2012-13	3071.88	632.60	21
		2013-14	3210.95	660.26	21

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
29.	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2011-12	2751.01	568.23	21
		2012-13	3054.70	980.02	32
		2013-14	3410.99	384.25	11
30.	पंचायती राज मंत्रालय	2011-12	5250.66	1143.21	22
		2012-13	5350.76	1413.49	26
		2013-14	7200.70	3738.62	52
31.	विद्युत मंत्रालय	2011-12	12018.97	7281.05	61
		2012-13	10949.40	9200.23	84
		2013-14	8045.87	4309.22	54
32.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2011-12	20026.47	651.83	03
		2012-13	22495.36	2836.25	13
		2013-14	17203.60	533.44	03
33.	ग्रामीण विकास विभाग	2011-12	149209.75	42368.46	28
		2012-13	129923.04	26266.79	20
		2013-14	113304.88	15817.28	14
34.	भू-संसाधन विभाग	2011-12	2706.20	280.44	10
		2012-13	3208.20	214.66	07
		2013-14	5772.86	3276.92	57
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2011-12	2695.91	212.00	08
		2012-13	2842.89	340.10	12
		2013-14	3372.22	776.36	23
36.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2011-12	3378.52	169.50	05
		2012-13	3475.10	529.44	15
		2013-14	3561.31	409.77	12
37.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2011-12	1426.96	218.53	15
		2012-13	1500.40	217.56	15
		2013-14	1502.07	210.75	14
38.	पोत परिवहन मंत्रालय	2011-12	2086.54	653.89	31
		2012-13	1403.45	566.08	40
		2013-14	1691.64	200.60	12
39.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2011-12	5183.05	333.97	06
		2012-13	5708.33	939.48	16
		2013-14	6420.37	1203.02	19
40.	अंतरिक्ष विभाग	2011-12	3676.97	916.54	25
		2012-13	3575.94	761.47	21
		2013-14	3052.21	324.53	11
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2011-12	4880.83	1761.88	36
		2012-13	4926.36	461.50	09
		2013-14	4949.36	109.59	02
42.	कपड़ा मंत्रालय	2011-12	6099.24	1220.55	20
		2012-13	7775.70	3513.98	45
		2013-14	5519.98	1592.79	29
43.	शहरी विकास विभाग	2011-12	1232.54	151.30	12
		2012-13	1321.73	232.27	18
		2013-14	1281.32	166.59	13

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
44.	जल संसाधन मंत्रालय	2011-12	1150.06	166.20	14
		2012-13	1937.32	966.23	50
		2013-14	1902.13	906.47	48
45.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2011-12	16183.04	506.98	03
		2012-13	18584.03	1547.22	08
		2013-14	20640.02	2601.43	13
राजस्व (प्रभारित)					
46.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2011-12	49298.62	5325.95	11
		2012-13	58357.46	13104.04	22
		2013-14	62134.40	8229.86	13
47.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2011-12	3311.25	100.01	03
		2012-13	3627.80	905.69	25
		2013-14	3856.58	375.08	10
पूँजीगत (दत्तमत)					
48.	परमाणु ऊर्जा	2011-12	3448.86	818.98	24
		2012-13	3822.32	1240.57	32
		2013-14	4111.36	1180.55	29
49.	आर्थिक कार्य विभाग	2011-12	25804.18	11998.50	46
		2012-13	58961.13	52110.34	88
		2013-14	69431.73	63462.80	91
50.	प्रत्यक्ष कर	2011-12	905.70	644.70	71
		2012-13	809.29	384.78	48
		2013-14	590.00	144.00	24
51.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2011-12	1989.13	916.16	46
		2012-13	2298.32	998.37	43
		2013-14	2862.69	1585.55	55
52.	पुलिस	2011-12	8464.47	2983.03	35
		2012-13	9333.60	2999.21	32
		2013-14	9106.00	2760.84	30
53.	योजना मंत्रालय	2011-12	731.62	480.12	66
		2012-13	515.80	256.69	50
		2013-14	900.00	549.23	61
54.	विद्युत मंत्रालय	2011-12	3041.81	687.43	23
		2012-13	5464.22	235.64	04
		2013-14	2918.05	1141.02	39
55.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2011-12	22221.38	3282.64	15
		2012-13	24643.50	5610.90	23
		2013-14	32264.15	2950.74	09
56.	पोत परिवहन मंत्रालय	2011-12	623.68	392.46	63
		2012-13	583.09	217.55	37
		2013-14	658.42	279.27	42
57.	अंतरिक्ष विभाग	2011-12	2948.19	1918.03	65
		2012-13	3138.22	1096.57	35
		2013-14	3738.96	1297.91	35

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
58.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2011-12	604.33	136.97	23
		2012-13	739.25	269.91	36
		2013-14	671.82	272.19	41
पूँजीगत (प्रभारित)					
59.	राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	2011-12	13000.00	3004.64	23
		2012-13	12000.00	1347.30	11
		2013-14	12000.00	1000.25	08
60.	विनियोग -ऋण का पुनर्भुगतान	2011-12	3524713.20	28784.50	01
		2012-13	3786074.35	359181.41	09
		2013-14	4014248.55	502957.23	13
डाक सेवाएं					
पूँजीगत (दत्तमत)					
61.	डाक विभाग	2011-12	518.14	317.51	61
		2012-13	615.77	470.18	76
		2013-14	433.31	165.01	38
रक्षा सेवाएं					
राजस्व (दत्तमत)					
62.	रक्षा सेवाएं- थल सेना	2011-12	73174.45	1341.79	02
		2012-13	79980.55	463.60	01
		2013-14	88599.71	879.63	01
पूँजीगत (दत्तमत)					
63.	रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	69148.01	1304.05	02
		2012-13	79526.99	9043.67	11
		2013-14	86685.31	7592.40	09
रेलवे					
राजस्व (दत्तमत)					
64.	निधियों का विनियोग-मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूँजीगत निधि एवं ऋण सेवा निधि	2011-12	28068.41	2802.84	10
		2012-13	43567.00	7730.75	18
		2013-14	42661.80	6156.40	14

अनुबंध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचत से अधिक राशियों का अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभाग के अंतर्गत बचतें	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
सिविल				
राजस्व –दत्तमत				
1.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	124.25	124.36	0.11
2.	08-औषधीय विभाग	99.37	99.50	0.13
3.	10-कोयला मंत्रालय	29.26	29.27	0.01
4.	32-विदेश मंत्रालय	39.59	125.02	85.43
5.	45-विनिवेश विभाग	36.34	38.26	1.92
6.	67-खनन मंत्रालय	54.07	54.58	0.51
7.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3738.62	3738.84	0.22
राजस्व –प्रभारित				
8.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	0.77	383.26	8.18
9.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	375.08	0.85	0.08
पूंजीगत-दत्तमत				
10.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	36.19	38.01	1.82
11.	44-अप्रत्यक्ष कर	126.95	127.40	0.45
12.	67-खनन मंत्रालय	4.71	6.17	1.46
13.	98-दादरा एवं नागर हवेली	49.14	49.17	0.03
पूंजीगत-प्रभारित				
14.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	502957.23	505198.94	2241.71
15.	93-वस्त्र मंत्रालय	35.34	35.35	0.01
रक्षा सेवाएं				
पूंजीगत –दत्तमत				
16.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7592.40	7854.78	262.38

अनुबंध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
				(₹ करोड़ में)		
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	3317.48	3281.05	3281.05	99	36.43
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	849.26	848.46	848.46	100	0.80
3.	3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	394.49	364.28	364.28	92	30.21
4.	4-परमाणु ऊर्जा	197.70	177.57	177.57	90	20.13
5.	5-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	289.19	182.33	182.33	63	106.86
6.	6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	124.25	124.36	124.36	100	*
7.	7-उर्वरक विभाग	1326.67	674.29	674.29	51	652.38
8.	11-वाणिज्य विभाग	129.38	58.13	58.13	45	71.25
9.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	175.27	155.24	155.24	89	20.03
10.	14-दूरसंचार विभाग	2010.10	1695.55	1695.55	84	314.55
11.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	849.55	836.40	6.78	01	13.15
12.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	152.13	137.01	137.01	90	15.12
13.	19-संस्कृति मंत्रालय	165.17	104.60	104.60	63	60.57
14.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	193.80	192.94	1.94	01	0.86
15.	29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	3324.67	3311.90	3311.90	100	12.77
16.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	334.54	297.16	5.27	02	37.38
17.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	715.93	582.69	8.94	01	133.24
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	188.59	10.92	10.92	06	177.67
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	746.54	745.96	745.96	100	0.58
20.	36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	17698.36	17548.30	17548.30	99	150.06
21.	42-राजस्व विभाग	7536.54	7524.16	7524.16	100	12.38
22.	43-प्रत्यक्ष कर	136.63	117.95	117.95	86	18.68

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
23.	44-अप्रत्यक्ष कर	129.40	19.17	19.17	15	110.23
24.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	177.20	176.88	176.88	100	0.32
25.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5474.46	5223.90	5223.90	95	250.56
26.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	533.77	500.96	500.96	94	32.81
27.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	133.94	130.84	130.84	98	3.10
28.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	309.03	296.29	296.29	96	12.74
29.	51-भारी उद्योग विभाग	382.86	52.82	52.82	14	330.04
30.	53-गृह मंत्रालय	876.91	695.18	695.18	79	181.73
31.	55-पुलिस	1599.04	500.23	500.23	31	1098.81
32.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	128.76	54.81	54.81	43	73.95
33.	57-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	524.80	524.79	524.79	100	0.01
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	381.82	271.12	271.12	71	110.70
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10152.69	7172.35	7172.35	71	2980.34
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	2417.46	2361.72	2361.72	98	55.74
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	200.12	191.86	191.86	96	8.26
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	849.56	745.96	745.96	88	103.60
39.	64-विधि एवं न्याय	112.77	20.47	20.47	18	92.30
40.	66-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	660.26	636.00	636.00	96	24.26
41.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	384.25	378.48	378.48	98	5.77
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1214.03	1115.57	1115.57	92	98.46
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3738.62	3738.84	3738.84	100	*

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
44.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	147.74	147.74	147.74	100	--
45.	75-योजना मंत्रालय	5798.92	5783.09	5783.09	100	15.83
46.	76-विद्युत मंत्रालय	4309.22	4308.98	4308.98	100	0.24
47.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	533.44	451.53	451.53	85	81.91
48.	83-ग्रामीण विकास विभाग	15817.28	15810.12	15810.12	100	7.16
49.	84-भू-संसाधन विभाग	3276.92	3276.85	3276.85	100	0.07
50.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	776.36	770.89	--	--	5.47
51.	87-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	210.75	209.87	24.87	12	0.88
52.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	200.60	186.32	186.32	93	14.28
53.	89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1203.02	1190.58	1190.58	99	12.44
54.	90-अंतरिक्ष विभाग	324.53	322.38	322.38	99	2.15
55.	91-सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	109.59	109.23	109.23	100	0.36
56.	93-वस्त्र मंत्रालय	1592.79	1339.93	1339.93	84	252.86
57.	94-पर्यटन मंत्रालय	328.12	306.99	306.99	94	21.13
58.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	146.39	146.11	146.11	100	0.28
59.	97-चण्डीगढ़	120.73	117.20	117.20	97	3.53
60.	101-शहरी विकास विभाग	166.59	61.59	61.59	37	105.00
61.	104-जल संसाधन मंत्रालय	906.47	771.80	771.80	85	134.67
62.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2601.43	2574.02	2574.02	99	27.41
राजस्व-प्रभारित						
63.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	5301.07	1972.26	1972.26	37	3328.81
64.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	8229.86	8229.86	8229.86	100	--
65.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	375.08	383.26	383.26	102	*

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
				(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
पूँजीगत- दत्तमत						
66.	4-परमाणु ऊर्जा	1180.55	1154.38	1154.38	98	26.17
67.	07-उर्वरक विभाग	253.48	253.48	253.48	100	--
68.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	302.00	301.99	301.99	100	0.01
69.	14-दूरसंचार विभाग	2293.77	2152.16	2152.16	94	141.61
70.	20-रक्षा मंत्रालय	742.03	729.56	729.56	98	12.47
71.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	128.56	127.06	10.52	08	1.50
72.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	110.98	90.05	--	--	20.93
73.	33-आर्थिक कार्य विभाग	63462.80	62523.67	62523.67	99	939.13
74.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	14017.40	14017.40	14017.40	100	--
75.	43-प्रत्यक्ष कर	144.00	120.94	--	84	23.06
76.	44-अप्रत्यक्ष कर	126.95	127.40	127.40	100	*
77.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1585.55	1480.47	1480.47	93	105.08
78.	51-भारी उद्योग विभाग	158.58	111.15	111.15	70	47.43
79.	55-पुलिस	2760.84	1719.88	1719.88	62	1040.96
80.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	120.00	120.00	120.00	100	--
81.	75-योजना मंत्रालय	549.23	543.50	543.50	99	5.73
82.	76-विद्युत मंत्रालय	1141.02	1141.02	1141.02	100	--
83.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2950.74	2876.09	2876.09	97	74.65
84.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	279.27	263.26	263.26	94	16.01
85.	90-अंतरिक्ष मंत्रालय	1297.91	1297.65	1297.65	100	0.26
86.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	272.19	271.57	271.57	100	0.62
87.	97-चण्डीगढ़	163.77	163.77	163.77	100	--
88.	101-शहरी विकास विभाग	863.04	803.17	803.17	93	59.87

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
				(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
पूँजीगत-प्रभारित						
89.	36-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	1000.25	1000.25	1000.25	100	--
90.	38-विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान	502957.23	505198.94	505198.94	100	--
रक्षा सेवाएं						
पूँजीगत (दत्तमत)						
91.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7592.40	7854.78	7854.78	103	*

* अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी

नोट: अभ्यर्पित तिथि के अनुमान के लिए, लेखापरीक्षा आदेश की तिथि यथा जहां अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को लिया गया है।

अनुबंध 3.9

(पैराग्राफ 3.10 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालय/विभाग में मूल तथा अनुपूरक अनुदानो/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत		योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	
2005-06	मूल	260249	164936	32274	602709	1060168
	अनुपूरक	34784	612	2744	424882	463022
	प्रतिशतता	13	-	9	70	44
2006-07	मूल	310212	176989	38951	1103562	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	9377	350290	455450
	प्रतिशतता	29	3	24	32	28
2007-08	मूल	360510	195865	80133	1616206	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	20474	65742	193151
	प्रतिशतता	25	9	26	4	9
2008-09	मूल	437377	243991	43348	1750686	2475402
	अनुपूरक	285013	113	14577	445762	745465
	प्रतिशतता	65	-	34	25	30
2009-10	मूल	667430	268467	61658	1887527	2885082
	अनुपूरक	81044	49	20574	1369563	1471230
	प्रतिशतता	12	-	33	73	51
2010-11	मूल	729198	287617	90171	3390880	4497866
	अनुपूरक	135176	131	31519	19156	185982
	प्रतिशतता	19	-	35	1	4
2011-12	मूल	830436	325521	106393	3155266	4417616
	अनुपूरक	101994	11941	21472	382533	517940
	प्रतिशतता	12	4	20	12	12

नि.प.ले.म. का प्रतिवेदन संघ सरकार लेखे 2013-14

2012-13	मूल	919615	387306	159441	3798124	5264486
	अनुपूरक	71562	4844	4444	31	80881
	प्रतिशतता	8	1	3	-	2
2013-14	मूल	983713	451534	190317	4026299	5651863
	अनुपूरक	40469	15682	7691	112	63954
	प्रतिशतता	4	3	4	-	1

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

**लघु/उप-शीर्ष के पुनर्विनियोग जो अनुपयोग के कारण निष्फल थे
(₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु /उप शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के पुनर्विनियोजित की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
सिविल						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-भारी जल सयंत्रों से उत्पादन	मू.	996.00	39.00	86.72
2.	11-वाणिज्य विभाग	3453.00.101.01 -महानिदेशक विदेश व्यापार	मू.	94.80	10.47	11.71
3.	19-संस्कृति मंत्रालय	2205.00.102.04-अन्य योजनाएं	मू. अ.	353.46 100.01	7.84	18.24
4.	33-आर्थिक कार्य विभाग	2052.00.090.09-आर्थिक कार्य विभाग	मू. अ.	93.36 10.67	11.20	13.39
5.		7475.00.800.10-नई उधार व्यवस्था (न.उ.व्य.) के अंतर्गत आई.एम.एफ. को ऋण	मू. अ.	0.01 1830.01	99.98	443.95
6.	38-पुनर्विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 -8% राहत बंधपत्र, 2002 (गैर-करयोग्य)	मू.	13.31	9.85	13.58
7.		6001.00.106.31 -6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर-करयोग्य)	मू.	13.46	16.88	19.79
8.	40-पेंशन	2071.01.117.01-सरकारी अंशदान	मू. अ.	1300.00 300.00	50.00	54.48
9.	44-अप्रत्यक्ष कर	2038.00.001.03-राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा संवेदनमन्दक अकादमी (रा.सी.उ.सं.अ.)	मू.	59.15	5.66	7.47
10.		2038.00.101.01-आयुक्तालय	मू.	2270.41	14.40	53.96
11.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.105.31-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ को अनुदानें	मू.	635.00	9.75	10.25

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु /उप शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के पुनर्विनियोजित की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
12.		2210.05.105.33-क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी	मू.	345.00	37.75	42.42
13.		2055.00.102.01-स्थापना	मू. अ.	10495.5 3 540.89	103.01	256.25
14.	55-पुलिस	2055.00.105.01- सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	मू. अ.	9663.11 595.00	110.30	194.30
15.		2055.00.105.03-भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ.	2630.83 352.23	27.45	30.95
16.		2055.00.118.01-निर्देशन तथा प्रशासन	मू. अ.	244.52 6.73	5.04	12.52
17.		56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2070.00.109.03-नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम	मू. अ.	32.30 0.01	5.23
18.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2236.80.102.08-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	मू.	105.00	10.85	31.05
डाक सेवा						
19.	13-डाक विभाग	3201.07.108.01-अवकाश नकदीकरण लाभ	मू.	250.10	7.90	19.25
रक्षा सेवा						
20.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	101 -थल सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	47429.2 2 2427.82	22.29	314.25
21.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	104 -गैर-सेनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	1590.00 42.97	9.10	26.47
				कुल	613.95	

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

**लघु/उप शीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अंतिम अधिक व्यय में हुआ
(₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)**

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
सिविल						
1.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.05.101.01-रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि	मू.	6.62	5.87	24.55
2.		2049.05.105.08-मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज	मू.	62.00	27.99	34.00
डाक सेवाएं						
3.	13-डाक विभाग	3201.02.101.01-वर्तमान डाक घर	मू.	5790.54	201.55	244.85
4.		3201.02.103.04-सामान्य सेवाओं हेतु विभागीय डाक मोटर सेवाएं	मू.	103.60	9.43	12.82
5.		3201.02.103.06-अन्य	मू.	186.94	5.81	10.99
रक्षा सेवाएं						
6.	27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.02.050 - भूमि	मू.	20.00	14.34	15.18
कुल					264.99	

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप शीर्ष	मूल	अनुपूरक	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			प्रावधान	अनुदान			
(₹ करोड़ में)							
सिविल							
1.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	3053.80.001.01-महानिदेशक नागरिक उड्डयन	36.09	0.86	31.91	5.04	चिकित्सा उपचार, घरेलू यात्रा व्यय तथा लघु निर्माण कार्य के प्रति कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम संख्या में पेशेवरों को काम पर रखना तथा समय पर परियोजना को अंतिम रूप न देना।
2.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.01.11 6-14 दिवसीय खजाना बिल	5500.00	1650.00	3616.53	3533.47	केन्द्र सरकार के मध्यस्थ खजाना बिलों में राज्य सरकार द्वारा निवेश के कम आयाम के कारण।
3.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.06.101.46-संक्रामक रोगों हेतु नम्य पुल नया	शून्य	34.55	--	34.55	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान के प्राधिकरण की स्वीकृति में विलम्ब।
4.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2810.00.104.01-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अ.एवं वि.	112.00	5.40	91.88	25.52	कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
5.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3425.60.20 0.65-आम आदमी के सम्मिलित नवाचार हेतु निधि	--	200.00	--	200.00	व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) को अंतिम रूप देने तथा मंत्रीमण्डल की स्वीकृति में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती
रक्षा सेवाएं							
6.	22-रक्षा सेवाएं- थल सेना	113 -राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस	880.62	10.28	874.46	16.44	भण्डार एवं प्रशिक्षण पर कम किए गए व्यय के कारण

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(₹ करोड़ में)				
7.	23-रक्षा सेवाएं -नौ सेना	104 -गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	10.00	6.31	6.00	10.31	प्रत्याशित से कम व्यय तथा बुकिंग के कारण

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
सिविल			
अनुदान सं.1-कृषि एवं सहकारिता विभाग			
1.	2401.00.111.28-राष्ट्रीय फसल सांख्यिकीय केन्द्र	10.00	10.00
2.	2401.00.789.13-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	30.00
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग			
3.	2415.01.796.02-राष्ट्रीय कृषीय अभिनव परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	17.00	17.00
4.	2415.80.120.02-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को सहायता अनुदान	50.00	50.00
5.	2415.80.120.03-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान	30.00	30.00
अनुदान सं. 3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्य पालन विभाग			
6.	3602.04.632.01-समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना एवं फसलोत्त्प्रक्रियाओं का विकास	12.00	12.00
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा			
7.	2852.09.200.05-सामान्य सेवाएं संगठन, तारापुर	29.22	29.22
8.	2852.09.200.06-सामान्य सेवाएं, कल्पक्कम	13.27	13.27
9.	2852.09.203.02-तारापुर में विद्युत रियेक्टर ईंधन पुनर्ससाधन संयंत्र	36.01	36.01
10.	2852.09.203.03-ईंधन पुनर्ससाधन संयंत्र, कल्पक्कम	64.83	64.83
11.	2852.09.203.09-विद्युत रियेक्टर ईंधन पुनर्ससाधन	15.00	15.00
12.	2852.09.800.06-डी.ए.ई.- परियोजना	40.00	40.00
13.	4861.60.103.10-डी.ए.ई.- परियोजनाएं	11.00	11.00
14.	5401.00.283.05-टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान	16.00	16.00
15.	5401.00.800.25-सार्वभौम नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी संस्थान का विकास	22.00	22.00
16.	5401.00.800.29-विशाल विज्ञान परियोजना	40.00	40.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 5-नाभकीय विद्युत योजना			
17.	2801.03.103.01-तारापुर में अपशिष्ट स्थिरीकरण संयंत्र का संचालन व्यय	32.05	32.05
18.	2801.03.103.02-कल्पक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का संचालन व्यय	14.19	14.19
19.	2801.03.103.03-तारापुर में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का संचालन व्यय	12.17	12.17
20.	6801.00.206.01-भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण	24.00	24.00
अनुदान सं. 6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग			
21.	6857.01.190.04-हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड (हि.जै.र.लि.)	10.01	10.01
अनुदान सं. 7 - उर्वरक विभाग			
22.	6855.00.190.02-उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	211.43	211.43
23.	6855.00.190.08-मद्रास उर्वरक लिमिटेड	17.00	17.00
अनुदान सं. 12- औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग			
24.	4059.01.201.03-प्रदर्शनी-सह-समागम केन्द्र, द्वारका	300.00	300.00
अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग			
25.	3275.00.796.02-सर्वभौम सेवा दायित्व हेतु सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	13.20	13.20
26.	5275.00.800.01-दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	11.00	11.00
अनुदान सं. 28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय			
27.	4552.00.202.03-उ.पू. क्षेत्र में पचास सीटों वाली वायुयान सेवा हेतु सहायता	10.01	10.01
28.	4552.00.215.02-उ.पू. क्षेत्र में लघु एवं मध्यम शहरों का समेकित विकास	70.00	70.00
29.	4552.00.800.29-उत्तर-पूर्वी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास	15.00	15.00
अनुदान सं. 30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
30.	3455.00.001.05-विमान-वाहित प्लेटफार्म	30.00	30.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
31.	3435.04.789.01-राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का बचाव	13.00	13.00
अनुदान सं. 33 - आर्थिक कार्य विभाग			
32.	5466.00.207.05-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अंशदान (प्रतिभूति में)	42000.00	42000.00
33.	5466.00.207.06-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अंशदान (नकद में)	14000.00	14000.00
34.	5475.00.797.01-समाजिक तथा अवसंरचना विकास पूंजीगत निधि को अंतरण	7000.00	7000.00
अनुदान सं. 34 - वित्तीय सेवाएं विभाग			
35.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	14000.00	14000.00
अनुदान सं. 35 - विनियोग -ब्याज भुगतान			
36.	2049.01.126- बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट-बैंक में धन का जमा करना	1630.38	1630.38
37.	2049.03.108.06-डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधि	150.00	150.00
38.	2049.60.111.-डाक जीवन बीमा के अंतर्गत शेष के प्रतिभूतिकरण के प्रति जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	1730.70	1730.70
अनुदान सं. 36-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण			
39.	7601.06.200- अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	1000.00
अनुदान सं. 42-राजस्व विभाग			
40.	3601.01.110.05 वैट को प्रारम्भ करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	51.00	51.00
अनुदान सं. 47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
41.	2210.05.800.05-राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अनुदानें	30.00	30.00
42.	2210.06.101.43-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	57.76	57.76
43.	2210.06.104.08-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	57.76	57.76
44.	2210.06.789.01-राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	73.75	73.75
45.	2210.06.789.07-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	30.31	30.31
46.	2210.06.789.08-ट्रॉमा केन्द्रों की क्षमता निर्माण हेतु सहायता	13.44	13.44
47.	2210.06.789.09-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	20.20	20.20

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
48.	2210.06.789.14-राज्य खाद्य नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	11.11	11.11
49.	2210.06.789.15-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	20.20	20.20
50.	2210.06.796.03 राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	39.78	39.78
51.	2210.06.796.09-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	16.35	16.35
52.	2210.06.796.11-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	10.90	10.90
53.	2210.06.796.17-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	10.90	10.90
54.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई.पी.एस.)	50.00	50.00
55.	2210.06.800.40-आपातकालिन चिकित्सा सेवाएं	14.20	14.20
56.	3601.04.246.01-जननीय एवं बाल स्वास्थ्य (ज.बा.स्वा.) दवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति	56.81	56.81
57.	4210.03.105.16-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	40.00	40.00
58.	4210.04.200.22-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी तथा प्रबंधन	65.00	65.00
59.	4210.04.200.24-एन.सी.डी.सी. की मौजूदा शाखाओं का सुदृढीकरण तथा 27 शाखाओं की स्थापना	30.00	30.00
60.	4210.80.190.05-एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड	135.00	135.00
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग			
61.	2210.02.789.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पुल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत)	14.45	14.45
62.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास एवं उन्नयन	34.00	34.00
अनुदान सं. 51 - भारी उद्योग विभाग			
63.	2852.06.103.42 -पूँजीगत माल क्षेत्र का आधुनिकीकरण	70.00	70.00
64.	2852.80.003.12- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	341.94	341.94
अनुदान सं. 55-पुलिस			
65.	2055.00.115.09-अधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता	100.00	100.00
66.	2055.00.800.10-बिना विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों का अधुनिकीकरण	41.20	41.20
67.	3602.01.116.01विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस संगठन का सुदृढीकरण	13.20	13.20

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
68.	4055.00.214.04-भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	15.00	15.00
69.	4055.00.214.06-भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य	40.00	40.00
अनुदान सं. 56 -गृह मंत्रालय के अन्य व्यय			
70.	3601.01.347.01-पुनर्वास अनुदानें	25.01	25.01
71.	4250.00.101.07-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	15.00	15.00
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग			
72.	2202.03.789.15-राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	13.50	13.50
73.	2202.03.800.20-राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	69.75	69.75
74.	2203.00.112.62-सामुदायिक महाविद्यालयों सहित कुशलता आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु सहायता	23.27	23.27
अनुदान सं. 61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
75.	2251.00.800.06-राष्ट्रीय ऐनिमेशन, गेमिंग तथा विशेष प्रभाव विशिष्टता केन्द्र	11.00	11.00
76.	2251.00.800.11-राष्ट्रीय चलचित्र धरोहर मिशन	20.00	20.00
अनुदान सं. 64-विधि एवं न्याय			
77.	2014.00.104.01-न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	20.00	20.00
78.	3602.04.891.01-न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	40.01	40.01
अनुदान सं.66-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय			
79.	2851.00.105.06 -खादी सुधार विकास पैकेज (ए.डी.बी. सहायता)	34.90	34.90
80.	2851.00.200.10-परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधियों की योजना	38.73	38.73
81.	2851.00.200.14-खादी उद्योगों तथा शिल्पकारों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की योजना	10.47	10.47
82.	2851-00-796.30 -भारत समाविष्ट अभिनव निधि (पहले राष्ट्रीय अभिनव निधि)	21.00	21.00
अनुदान सं. 68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय			
83.	4225.04.190.01- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम	108.00	108.00
अनुदान सं. 73 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन			
84.	4059.80.051.37-केन्द्रीय सूचना आयोग	10.00	10.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
85.	2802.80.106.03-राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	41.00	41.00
86.	3601.01.457.01 राज्य को सहायता- ज.वि.प्र. मिट्टी के तेल लाभार्थियों को नकद में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु सांस्थानिक रचना की स्थापना	90.00	90.00
87.	3602.01.457.01-सं.शा.क्षेत्र को सहायता- ज.वि.प्र. मिट्टी के तेल लाभार्थियों को नकद में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु सांस्थानिक रचना की स्थापना	20.00	20.00
अनुदान सं. 75-योजना मंत्रालय			
88.	3475.00.800.97-नए कार्यक्रम-केन्द्रीय योजना	5000.00	5000.00
अनुदान सं. 76-विद्युत मंत्रालय			
89.	2801.80.800.29-राष्ट्रीय विद्युत निधि (रा.वि.नि.)	151.92	151.92
90.	2801.80.800.33-डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना हेतु वित्तीय सहायता	1500.00	1500.00
अनुदान सं. 82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			
91.	3054.04.337.07- बिना विधान सभा वाले सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदानें	13.80	13.80
92.	3602.04.105.01- अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	18.36	18.36
अनुदान सं. 83-ग्रामीण विकास विभाग			
93.	2501.06.102.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	64.83	64.83
94.	2501.06.789.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	41.27	41.27
95.	2501.06.796.03- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	28.90	28.90
96.	2505.02.101.14-मनरेगस श्रमिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (रा.सु.बी.यो.) का विस्तार	200.00	200.00
97.	2515.00.105.01-लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिक उन्नति परिषद को अनुदाने	15.00	15.00
अनुदान सं. 84-भू-ससांधन विभाग			
98.	3602.03.467.05-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	10.84	10.84
अनुदान सं. 85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
99.	3425.60.200.63-सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा तथा क्षमता निर्माण	95.12	95.12
100.	3425.60.200.65-आम आदमी के लिए समाविष्ट अभिनव निधि	200.00	200.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 86-विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
101.	3425.60.151.14-समाविष्ट साझेदारी तथा सहयोगी अनुसंधान एवं विकास हेतु सी.एस.आई.आर.पहल	10.00	10.00
102.	3425.60.151.15-राष्ट्रीय नागरिक वायुयान विकास	10.00	10.00
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय			
103.	5051.01.106.01 परिवहन सुविधाएं एवं नौसेना	30.00	30.00
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
104.	2225.01.789.21-डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	14.00	14.00
105.	3601.03.789.15-सामाजिक कल्याण- विकलांग का कल्याण	18.50	18.50
106.	3601.04.362.03- विकलांग छात्र हेतु मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	22.00	22.00
107.	3601.04.789.18-अनुसूचित जातियों का कल्याण- आर्थिक विकास	100.00	100.00
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग			
108.	3252.00.053.12 -जीसैट-15 उपग्रह लांच सेवाएं	10.00	10.00
109.	3252.00.053.14 -जीसैट-16 उपग्रह लांच सेवाएं	10.00	10.00
110.	5252.00.203.11 -जीसैट-17 उपग्रह एवं मिशनो पर अनुपालन	85.00	85.00
अनुदान सं. 92-इस्पात मंत्रालय			
111.	2852.80.800.34- कोल्ड रोल्ड ग्रेन अभिमुख (सी.आर.जी.ओ) इस्पात शीट एवं अन्य मूल्य संवर्धन अभिनव इस्पात उत्पादों (नए संघटक) हेतु प्रौद्योगिकी का विकास	32.00	32.00
अनुदान सं. 93-वस्त्र मंत्रालय			
112.	2851.00.104.33-उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु विशेष योजना	15.27	15.27
113.	2851.00.108.13-समतल विद्युत करधा का इन-सितु उन्नयन योजना	29.90	29.90
114.	2852.08.202.56-समेकित संसाधन विकास योजना	43.40	43.40
115.	2852.08.789.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	100.25	100.25
116.	2852.08.789.03-समेकित वस्त्र उद्यान योजना	11.00	11.00
117.	2852.08.796.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	19.00	19.00
अनुदान सं. 94-पर्यटन मंत्रालय			
118.	3452.01.102.06- बड़े राजस्व सृजन परियोजनाओं को सहायता	25.00	25.00
119.	3452.80.800.14-आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	10.00	10.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
120.	3602.04.826.01-गंतव्य तथा सर्किट हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	10.00	10.00
अनुदान सं. 96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
121.	5225.04.209.01-मेनलेण्ड तथा अ.नि. द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना	153.00	153.00
अनुदान सं. 98-दादर एवं नागर हवेली			
122.	5425.00.208.02-भवन	10.00	10.00
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग			
123.	2217.05.191.09- राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन (रा.धा.आ.मि.)	10.00	10.00
अनुदान सं. 104-जल ससांधन मंत्रालय			
124.	2701.80.001.02-मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	38.01	38.01
125.	2701.80.800.19-सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	40.00	40.00
126.	3601.02.101.50-महाराष्ट्र की बोड़वार्ड परिसर सिंचाई योजना परियोजना	12.41	12.41
अनुदान सं. 105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
127.	2235.02.102.38-शिशु बालिका जिला कार्य योजना	13.50	13.50
128.	2235.02.103.28-राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि	18.00	18.00
129.	2235.02.103.62-महिला हेल्पलाइन	18.00	18.00
130.	3601.04.356.01-कार्यकारी महिलाओं हेतु छात्रावास	200.01	200.01
131.	3601.04.356.07-बलात्कार पीड़ितों के लिए पुष्टिकर न्याय	67.50	67.50
132.	3601.04.356.10-घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव विनियम का कार्यान्वयन	59.50	59.50
133.	3601.04.358.10-नवयुवकों के साकल्यवादी विकास की योजना	16.00	16.00
		कुल	93447.66

अनुबंध 3.14
(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अतंगत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.119.41-सूक्ष्म सिचाई पर राष्ट्रीय मिशन	1134.01	968.43	165.58	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
2.	2401.00.789.18-सूक्ष्म सिचाई पर राष्ट्रीय मिशन	360.00	167.33	192.67	प्रस्तावों को अंतिम रूप देने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा पंजाब एवं हरियाणा में अधिकांश अनुसूचित जनजाति परिवारों के भूमिहीन होने के कारण भूमि आधारित कार्यों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
3.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10054.46	7000.03	3054.43	प्रस्तावों को अंतिम रूप देने, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
अनुदान सं. 2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
4.	2415.01.150.03- कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड एवं सूचना महानिदेशालय तथा कृषि प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन	516.31	225.02	291.29	XII योजना की व्यय वित्त समिति को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण संशोधित अनुमानों में प्रावधानों की कटौती के कारण
5.	2415.01.150.10-राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं	368.00	235.00	133.00	कम प्रस्तावों/उप-परियोजनाओं की प्राप्ति के कारण संशोधित अनुमान में प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग					
6.	2404.00.111.02-प्रापण	371.97	257.02	114.95	मितव्ययी उपायों के कारण
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
7.	3401.00.004.05-टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान	655.76	514.80	140.96	परियोजना के पुनर्निर्धारण के कारण
8.	3401.00.004.07-टाटा स्मारक केन्द्र	476.04	340.91	135.13	कुछ कार्यों का अगले वित्तीय वर्ष में स्थगन तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
9.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	145.00	40.00	105.00	परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय तथा प्रशासनिक अनुमति की प्राप्ति न होने के कारण।
10.	4861.60.203.44-तीव्र रियेक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफ.आर.एफ.सी.एफ.)	263.00	8.51	254.49	व्यवसायिक सेवाओं, कार्यालयी व्यय एवं मोटर वाहनों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण तथा वित्तीय संस्वीकृति की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 5- नाभिकीय शक्ति योजना					
11.	2801.03.101.07-तारापूर परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु क्वथन जल रियेक्टर ईंधन	180.85	6.30	174.55	बी.डब्ल्यू.आर ईंधन के कम आयात के कारण
12.	2801.03.800.04-कुडनकुलम में प्रतिवेश विकास योजना	150.00	20.00	130.00	राधापूरम तथा वल्लीयूर ब्लाको में तेरह ग्रामों में घरों के निर्माण हेतु फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण।
अनुदान सं. 7- उर्वरक विभाग					
13.	2401.00.106.02- यूरिया का आयात	20158.84	15353.30	4805.54	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया मूल्यों के कम होने तथा यूरिया की कम मात्रा के आयात के कारण।
अनुदान सं. 10- कोयला मंत्रालय					
14.	4803.00.800.01-कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण	1722.00	761.00	961.00	कोयला उत्पादन क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।
अनुदान सं. 11- वाणिज्य विभाग					
15.	3453.00.194.03- निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता	1350.00	1192.23	157.77	टर्मिनल उत्पाद शुल्क के अतर्गत नीति परिवर्तन के कारण दावों की प्रतिपूर्ति की गैर-स्वीकार्यता के कारण।
अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग					
16.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	925.00	686.67	238.33	दावों की कम प्राप्ति के कारण
17.	2071.01.104.01-सामान्य पेंशन	1191.47	1043.27	148.20	दावों की कम प्राप्ति के कारण
18.	3275.00.103.01-सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	2683.80	2163.45	520.35	लेफ्ट विंग उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में मोबाईल सेवाएं प्रदान करने हेतु योजना की अस्वीकृति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
19.	3275.00.797.01-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण	3000.00	2163.45	836.55	केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की साझेदारी से प्रत्याशित लक्ष्य की अप्राप्ति तथा निविदा प्रक्रिया/कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण।
20.	5275.00.800.03-रक्षा सेवाओं हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	2180.50	211.51	1968.99	ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतर्गत योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
अनुदान सं. 15- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग					
21.	2852.07.202.60-इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन	523.61	332.45	191.16	उपयोग-प्रमाणपत्र की अप्राप्ति, कुछ राज्यों द्वारा राज्य अंश के जारी न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण
अनुदान सं. 29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
22.	2215.01.789.01- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2345.48	2013.69	331.79	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
23.	2515.02.105.21-पूर्ण स्वच्छता अभियान	2470.80	1507.56	963.24	राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
24.	2215.02.789.01- पूर्ण स्वच्छता अभियान	937.20	505.99	431.21	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
25.	2215.02.796.01- पूर्ण स्वच्छता अभियान	426.00	229.99	196.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं.31- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
26.	3435.04.103.03-जल प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण (उपकर)	250.00	134.92	115.08	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (रा.प्र.नि.बो.) से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय					
27.	2061.00.798.07-नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	125.00	9.15	115.85	निविदा में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
28.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	450.00	164.86	285.14	स्थानीय परिस्थितियों तथा स्थानीय सरकार द्वारा निर्माण हेतु स्थल की सूपुदगी में विलम्ब तथा स्थल संबंधित चुनौतियों, हड़तालों, दंगों के कारण निविदा को अंतिम रूप देने तथा ठेकेदारों/परामर्शदाताओं को कार्य सौंपने में विलम्ब तथा म्यानमार सरकार द्वारा संविधिक स्वीकृतियों में विलम्ब के कारण जिसका परिणाम परियोजना की धीमी प्रगति में हुआ।
अनुदान सं. 33- आर्थिक कार्य विभाग					
29.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	609.55	200.00	409.55	योजना को अंतिम रूप न देने तथा मितव्ययी उपायों के कारण
30.	5465.01.190.24-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (रा.कौ.वि.नि.)	1500.00	1250.00	250.00	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तकनीकी सहायता योजना को अंशदान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
31.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास हेतु सहायता-व्यवहार्यता अंतर निधीयन	678.00	450.00	228.00	विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्रायोजक प्राधिकरणों से कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 34- वित्तीय सेवाएं विभाग					
32.	2885.01.101.06- आवास ऋण पर 1% ब्याज सरकारी सहायता	200.00	80.00	120.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
33.	3465.01.190.06- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा.ल.उ.बैं.) को वित्तीय सहायता	700.00	200.00	500.00	आम चुनाव तथा आदर्श आचार संहिता को लागू करने के कारण उपादान हेतु क्रेडिट प्रतिभूति निधि को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मंत्रीमण्डल के निर्णय की गैर-अनुमति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 35- विनियोग-ब्याज भुगतान					
34.	2048.00.200.13- सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान	2000.00	687.48	1312.52	प्रतिभूतियों की स्विचिंग तथा वापस खरीदने के कम आयात के कारण
35.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	2000.00	251.73	1748.27	सरकार की रोकड़ स्थिति में सुधार के कारण
36.	2049.01.116- 14 दिवसीय खजाना बिल	7150.00	3616.53	3533.47	राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के मध्यस्थ खजाना बिलों निवेश के कम आयात के कारण।
37.	2049.01.122- 1999-2000 से लघु बचतों के निवल संग्रहणों के प्रति जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	3837.63	2951.29	886.34	योजना धारकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
38.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंधपत्र	1284.15	874.19	409.96	भारत सरकार की प्रतिभूतियों में कम निवेश तथा निवेशकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
39.	2049.02.216-पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऋणों पर ब्याज	603.69	388.79	214.90	विनियम दर परिवर्तन के कारण
40.	2049.02.249- एशियाई विकास बैंक से ऋण पर ब्याज	501.79	356.63	145.16	विनियम दर परिवर्तन के कारण।
41.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधियां	3361.11	2442.27	918.84	निधि को कम निवल संवृद्धि के कारण।
अनुदान सं. 36- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
42.	3601.01.104.09-सड़को एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	5175.00	4600.00	575.00	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
43.	3601.01.104.13- राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु सहायता अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	6723.75	3594.86	3128.89	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
44.	3601.01.104.17- पर्यावरण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	2500.00	1050.48	1449.52	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
45.	3601.01.104.18- अभिशासन हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	3629.02	1879.35	1749.67	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
46.	3601.02.101.26-त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	12962.00	4630.00	8332.00	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
47.	3601.02.101.35-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	5000.00	3530.52	1469.48	योजना आयोग से सिफारिश की अप्राप्ति के कारण।
48.	3601.02.101.36- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	14000.00	7559.00	6441.00	राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों तथा सुधार कार्यसूची की अप्राप्ति के कारण।
49.	3601.02.101.49- अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.अ.के.स.)	540.00	166.00	374.00	योजना आयोग से सिफारिश की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 38- विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान					
50.	6001.00.105.02- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (अं.वि.नि.)	2514.98	1443.60	1071.38	अं.वि.नि. की वित्तीय लेने देन योजना के अंतर्गत कम लेने-देनों के कारण।
51.	6001.00.106.30- 8% बचत बंध पत्र, 2003 (करयोग्य)	1063.60	429.45	634.15	बंधपत्र धारकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
52.	6001.00.114- अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	242425.00	257575.00	अर्थोपाय अग्रिमो तथा ओवरड्राफ्ट के कम उपयोग तथा भारत सरकार के रोकड़ शेष में आधिक्य के कारण।
अनुदान सं. 40-पेंशन					
53.	2071.01.115.01- सामान्य पेंशन	1450.00	1290.81	159.19	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 42- राजस्व विभाग					
54.	3601.01.110.07- केन्द्रीय बिक्रीकर (के.बि.क.) को चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति	9300.00	1940.51	7359.49	राज्य सरकारों से के.बि.क. क्षतिपूर्ति के प्रति कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 43- प्रत्यक्ष कर					
55.	4059.01.202- तैयार-निर्मित आवास का अधिग्रहण	547.00	430.25	116.75	कार्यालय भवन की खरीद/अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 46- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
56.	3601.04.552.03-खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	150.00	29.72	120.28	उत्तर-पूर्वी राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
57.	2210.05.105.50-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	625.08	27.44	597.64	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा कुछ उप योजनाओं को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
58.	2210.05.789.07- स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	232.68	5.50	227.18	योजना को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
59.	2210.05.796.07- स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	125.53	3.00	122.53	योजना को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
60.	2210.06.001.09-संक्रामक रोग हेतु नम्य पुल	920.59	538.49	382.10	कम प्रापण तथा विज्ञापन एवं प्रचार, व्यवसायिकों को नियुक्त करने और अन्य स्थापना संबंधित मदों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
61.	2210.06.101.42-राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	210.79	3.90	206.89	अवसरचन्नात्मक विकास से संबंधित कार्य में धीमी प्रगति के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
62.	2210.06.101.47- गैर-संक्रामक रोगों हेतु नम्य पुल	514.57	206.85	307.72	उपयोग प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
63.	2210.06.789.18- गैर संक्रामक रोगों हेतु नम्य पुल	173.75	37.16	136.59	उपयोग प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
64.	2211.00.001.05-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.)- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (प्र.बा.स्वा.) नम्य पुल	858.80	687.37	171.43	सामग्रियों के प्रापण में धीमी प्रगति के कारण।
65.	2211.00.789.07-रा.ग्रा.स्वा.मि.-प्र.बा.स्वा. नम्य पुल	2331.30	2044.51	286.79	राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों तथा उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों के रूप में दिनों की कम संख्या की घोषणा तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
66.	3601.04.263.74-संक्रामक रोग हेतु नम्य पुल	225.32	98.92	126.40	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
67.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता	332.36	159.43	172.93	दानकर्ता अभिकरण से कम सहायता सामग्री की प्राप्ति के कारण।
68.	4210.01.110.07-डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	150.00	42.78	107.22	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण के कारण।
69.	4210.01.800.07-निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर विद्या संस्थान	195.00	65.00	130.00	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण के कारण।
70.	4210.03.105.12-अ.भा.अ.वि.सं. प्रकार के अति-विशिष्टता अस्पतालों-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	1475.00	803.58	671.42	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण तथा समय बाधित दावों के कारण बिलों के गैर-निपटान के कारण।
71.	4216.01.700.51-अ.भा.अ.वि.सं. प्रकार के अति-विशिष्टता अस्पतालों-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	250.00	71.24	178.76	योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा दावों/बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानि, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग					
72.	2210.02.200.30-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पुल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत)	191.97	0.88	191.09	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 53 गृह मंत्रालय					
73.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका (रा.ज.पं.)	1045.27	459.44	585.83	योजना आयोग से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका हेतु प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती तथा राज्य सरकार के अंतर्गत बायोमैट्रिक नामांकन से यू.आई.डी.ए.आई. में परिवर्तन तथा रा.ज.पं. डाटा के संचयन की योजना की गैर-समाप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 55- पुलिस					
74.	2055.00.001.06- आसूचना ब्यूरो	1151.28	1026.29	124.99	रिक्त पदों को न भरने, 'आर.एवं.टी' परियोजना को स्थापित करने हेतु संहिता औपचारिकताओं का गैर-समापन, दावों की अप्राप्ति तथा लघु कार्य के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
75.	2055.00.800.11-अपराध एवं अपराधी नेटवर्क प्रणाली	276.25	135.00	141.25	राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
76.	3601.01.116.01-राज्य पुलिस संगठन का सुदृढीकरण	1310.00	766.38	543.62	राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
77.	4055.00.210.09-केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	194.25	27.54	166.71	संस्थान की ईमारत के निर्माण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
78.	4055.00.214.02-भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	230.00	86.72	143.28	सीमा क्षेत्रों पर गोलीबारी के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
79.	4055.00.214.03-भारत-चीन सीमा	300.00	178.74	121.26	विषम मौसम परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
80.	4055.00.214.05-भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	890.00	750.00	140.00	विषम मौसम परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
81.	4055.00.214.07-समेकित जांच पोस्ट की स्थापना	250.00	32.69	217.31	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
82.	4055.00.216.04-केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	147.73	12.33	135.40	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा प्लान योजना हेतु व्यय वित्त समिति प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 56 ग्रह मंत्रालय के अन्य व्यय					
83.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	387.48	251.58	135.90	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
अनुदान सं. 57- संघ शासित क्षेत्र सरकार को अंतरण					
84.	3602.02.101.01-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1075.31	582.52	492.79	शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों के निर्गम हेतु कम सिफारिश तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
85.	2202.01.789.02-सर्व शिक्षा अभियान	5287.96	4711.59	576.37	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण।
86.	2202.01.797.01-प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतरण हेतु निधियां	24429.00	19988.24	4440.76	शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण।
87.	2202.02.110.17-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2484.70	2054.31	430.39	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
88.	2202.02.789.07- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	785.70	624.60	161.10	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
89.	2202.04.200.14-प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	356.10	209.66	146.44	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग					
90.	2202.03.102.14-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	300.80	6.51	294.29	नई योजना होने से व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या की प्राप्ति तथा मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति में विलम्ब के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
91.	2202.80.800.40-सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	263.48	93.31	170.17	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
92.	3601.04.175.04-राज्य में पालीटेक्निकों हेतु सहायता	446.01	245.91	200.10	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
93.	2230.03.800.13-कौशल विकास (विलीन)	298.15	125.15	173.00	उपयोग प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति तथा राज्यों से कम प्रस्तावों के कारण।
अनुदान सं. 66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
94.	2851.00.200.16-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	924.60	813.45	111.15	योजना के देरी से मूल्यांकन तथा औचित्य निर्धारण के कारण इसकी निरंतरता हेतु छूट प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 68- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय					
95.	3601.04.378.04-चयनित अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में बहु-क्षेत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम	1086.25	949.28	136.97	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 69- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
96.	2810.00.101.01-ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय शक्ति	1136.14	592.39	543.75	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
97.	2810.00.101.02- ऑफ-ग्रिड/संवितरित तथा संकेन्द्रीत नवीकरणीय शक्ति	846.94	524.27	322.67	उपयुक्त प्रस्तावों की अनुपलब्धता के कारण xiv से xii योजना अवधि में योजना को जारी रखने में विलम्ब तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 71-पंचायती राज मंत्रालय					
98.	3601.02.471.01- पिछड़े वर्ग हेतु अनुदानें	4216.50	1817.20	2399.30	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
99.	3601.02.789.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतीराज	1008.94	434.00	574.94	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
100.	3601.02.796.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतीराज	1274.56	548.80	725.76	
अनुदान सं. 75- योजना मंत्रालय					
101.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1819.00	1194.68	624.32	आधार कार्डों को तैयार करने में शामिल अभिकरणों से दावों की अप्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती।
102.	3475.00.800.83- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पहले का नाम-योजनागत लेखांकन एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	160.99	59.95	101.04	रिक्त पदों को न भरने तथा मंत्रीमण्डल द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राज्य परियोजना मॉनीटोरिंग की गैर-स्थापना।
103.	5475.00.112.38-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	800.00	349.78	450.22	सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर, मशीनरी तथा उपकरण का कम प्रापण।
अनुदान सं. 76- विद्युत मंत्रालय					
104.	2801.06.789.01-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्र.वि.यो.)	709.36	344.63	364.73	कुछ परियोजनाओं की अस्वीकृति, आवश्यक शर्तों की अपूर्ति के कारण 209 बंद परियोजनाओं में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अंतिम किश्त के गैर-आहरण तथा छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड के 11 राज्यों में चरण-II सहित 10वी. तथा 11वी. योजना के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण।
105.	2801.06.800.03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	3331.94	2593.89	738.05	
106.	2801.80.004.02-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	298.73	17.76	280.97	व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा योजना की अस्वीकृति के कारण।
107.	2801.80.800.15- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	189.41	64.12	125.29	प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप न देने तथा विभिन्न राज्य नामित अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
108.	2801.80.800.27-ऊर्जा संरक्षण	564.45	16.00	548.45	योजना 'राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन' की स्वीकृति को अंतिम रूप देने/विलम्ब के कारण।
109.	4801.01.190.03-टेहरी जल विकास निगम	133.72	30.00	103.72	इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विचलन के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी न करने के कारण कार्य को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
110.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम लिमिटेड	474.00	301.45	172.55	कोयला ब्लाक क्षेत्रों में खराब कानून एवं व्यवस्था परिस्थिति के कारण कार्य के बार-बार रुकने, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तलाईपल्ली कोयला ब्लाक खनन क्षेत्र की राहत एवं पुनर्वास योजना की गैर-स्वीकृति तथा भूमि के हस्तांतरण की लंबित स्वीकृति के कारण।
111.	4801.05.001.04-कारगील से होकर श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	226.00	65.40	160.60	आर्थिक कार्य पर कैबिनेट समिति द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण।
112.	6801.00.190.06-राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम	995.83	628.01	367.82	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 82- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
113.	3054.01.337.01-सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	1925.32	1725.01	200.31	कम प्रस्तावों को अंतिम रूप देने तथा निर्माण, सर्फेसिंग एवं स्थायी निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कटौती के कारण।
114.	5054.01.337.01-सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य	3704.83	2533.17	1171.66	विश्व बैंक के साथ ऋण को अंतिम रूप न देने, कार्य की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
115.	5054.01.337.03- राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) मूल निर्माण कार्य	3024.50	2673.30	351.20	कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
116.	5054.01.796.01-नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (रा.रा. तथा राज्य की सड़के) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	800.00	359.34	440.66	नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुछ निविदाओं की खराब प्रतिक्रिया के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
117.	5054.02.337.03-सीमा सड़क विकास बोर्ड (सी.स.वि.बो.) के अधीन निर्माण कार्य	2799.92	2231.13	568.79	पुनः सर्फेसिंग लक्ष्यों में कटौती, भण्डारों के कम प्रापण, भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप न देने तथा समय पर वन अनुमति की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 83- ग्रामीण विकास विभाग					
118.	2501.06.102.01-अजीविका-कार्यक्रम संघटक	1418.81	756.12	662.69	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
119.	2501.06.102.02-अजीविका-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं संघटक	600.00	314.48	285.52	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
120.	2501.06.789.02-अजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	855.96	397.97	457.99	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
121.	2501.06.796.02-अजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	599.23	288.33	310.90	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता, कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
122.	3054.04.338.01-जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता	11221.69	4697.00	6524.69	
123.	3054.04.338.07-ई.ए.पी. संघटक	4266.00	681.17	3584.83	
अनुदान सं. 84- भू-संसाधन विभाग					
124.	2501.05.101.07-समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	3611.51	1787.39	1824.12	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
125.	2501.05.789.01-समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	872.69	250.00	622.69	

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 85- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
126.	3425.60.200.64-राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली	189.88	1.00	188.88	व्यय वित्त समिति द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 88- पोतपरिवहन मंत्रालय					
127.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय लो.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	300.00	179.40	120.60	शिपयार्डों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा जहाज निर्माण आर्थिक सहायता हेतु कम दावे की प्राप्ति के कारण।
128.	5051.01.104.07-अन्य व्यय	200.00	50.00	150.00	निकर्षण प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण।
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
129.	2225.01.789.10-मैनुअल स्कैवेंजरो के सुधार हेतु स्वयं रोजगार योजना	557.00	35.00	522.00	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण।
130.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आर्थिक विकास	1028.00	789.78	238.22	कुछ राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग					
131.	3252.00.053.08-इनसैट/जीसैट ट्रांसपोडरो को पट्टे पर लेने हेतु सेवा प्रभार	200.00	52.45	147.55	इनसैट/जीसैट ट्रांसपोडरो को पट्टे पर लेने के प्रति मैसर्स अंतरिक्ष के कम सेवा प्रभारों के कारण।
132.	5402.00.101.07- तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (त.प्र.प्र.के.)	240.18	135.23	104.95	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण व्यय के स्थगन के कारण।
133.	5402.00.101.17-सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-शार (स.ध.अ.के.-शार)	241.34	115.64	125.70	एम.ओ.टी.आर. परियोजना की विलम्बित संस्वीकृति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
134.	5402.00.101.20-पोलर उपग्रह प्रारम्भ वाहन निरंतरता (पी.एस.एल.वी.-सी.) परियोजना	325.00	88.95	236.05	पी.एल.एसी.वी. सी.36-सी.50 परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब तथा वाणिज्यिक उपग्रह एस.पी.ओ.टी.-6 एवं एस.पी.ओ.टी.-7 को लांच करने के प्रति कम निधियों की कम आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 93-वस्त्र मंत्रालय					
135.	2852.08.202.13 -आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन (टी.यू.एफ.एस.)	2280.75	1730.59	550.16	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
136.	2852.08.202.27-समेकित वस्त्र उद्यान	284.50	110.98	173.52	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वस्त्र उद्यानो की अवसरचना के गैर-समापन के कारण।
137.	2852.08.202.35-मानव संसाधन विकास योजना	220.00	86.03	133.97	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 94-पर्यटन मंत्रालय					
138.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	448.20	292.60	155.60	कम प्रस्तावों की प्राप्ति एवं विदेशी कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रचार हेतु सार्वभौमिक अभियान के गैर-समापन तथा भारत/विदेश में मीडिया अभियान कार्यों को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 95- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
139.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा	119.50	15.99	103.51	सं.शा.क्षे. प्रशासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त/पूर्ण प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुदान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
140.	3601.02.796.01-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान (प्रभारित)	2517.00	2147.14	369.86	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 97-चण्डीगढ़					
141.	5055.00.102.01- चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	112.35	0.19	112.16	परिवहन विभाग द्वारा नई बसों की खरीद हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग					
142.	4217.60.190.03- दिल्ली मेट्रो रेल निगम	650.00	514.50	135.50	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति के कारण।
143.	4217.60.190.08- अन्य मेट्रो परियोजनाएं	470.98	300.00	170.98	
144.	6217.60.191.12- जे.बी.आई.सी. हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम को पारित सहायता	1750.00	1570.51	179.49	
145.	6217.60.191.18- उप-कोटि ऋण-ब्याज मुक्त कर्ज	1132.03	799.45	332.58	
अनुदान सं. 104-जल संसाधन मंत्रालय					
146.	2701.80.800.18-राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	108.13	0.71	107.42	व्यय वित्त समिति तथा मंत्रीमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया के गैर-समापन के कारण।
147.	2702.02.005.16-भू-जल प्रबंधन तथा नियंत्रण	232.50	87.34	145.16	डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा क्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम समन्वेषी कुओं के निर्माण के कारण।
148.	2711.01.800.29-बाढ़ पूर्वसूचना	130.00	24.67	105.33	व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया के गैर-समापन तथा मशीनरी की खरीद हेतु प्रापण प्रक्रिया के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
अनुदान सं. 105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
149.	3601.04.356.06-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गा.मा.स.यो.) पहले प्रतिबन्धित मातृत्व लाभ योजना (प्र.मा.ला.यो.)	359.68	185.93	173.75	राज्य सरकारों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय विवरणी की अप्राप्ति के कारण।
150.	3601.04.561.01-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	164.00	38.21	125.79	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण।
डाक सेवाएं अनुदान सं. 13- डाक विभाग					
151.	3201.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	217.12	48.07	169.05	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत व्यय में कटौती के कारण।
152.	3201.07.102.01-पेंशन का परिवर्तित मूल्य	418.90	315.63	103.27	प्रत्याशित से कम पेंशन मामलों के निपटान के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
रक्षा सेवाएं अनुदान सं.22- रक्षा सेवाएं-थल सेना					
153.	2076.00.800 - अन्य व्यय	2233.20	1770.98	462.22	मुख्यतः- राशन, ईंधन तेलों तथा स्नेहक (ई.ते.स्ने.) तथा भूतपूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (भू.अं.स्वा.यो.) की अति आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यय को कम करने के प्रयास का परिणाम।
अनुदान सं.23-रक्षा सेवाएं-नौसेना					
154.	2077.00.106 -मरम्मत एवं सुधार	710.00	592.63	117.37	जहाजों, पनडुब्बियों तथा वायुयानों की लघु मरम्मत हेतु व्यक्तिगत मामलों की प्रगति पर आधारित निधियों की कम की गई आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना					
155.	2078.00.105- परिवहन	851.45	661.28	190.17	विदेश यात्रा पर प्रतिबंध तथा पात्रता से निचली श्रेणी द्वारा वायु यात्रा के जैसे मितव्ययी उपायों के कड़े प्रवर्तन के कारण।
156.	2078.00.800- अन्य व्यय	473.66	342.85	130.81	मुख्य रूप से अवसरंचना की मरम्मत, अनुरक्षण तथा रखरखाव पर व्यय को पुनः प्राथमिकता प्रदान करने हेतु एक प्रयास में किया गया।
अनुदान सं. 25-रक्षा आयुद्ध कारखाने					
157.	2079.00.800- अन्य व्यय	934.01	794.97	139.04	125 एम.एम. फीन स्टेबलाईज्ड अर्मोर पाईसिंग डिस्कार्डिंग स्बोट (एफ.एस.ए.पी.डी.एस.) की टी.ओ.टी. के करार को अंतिम रूप न देने, विद्युत एवं जल प्रभारों की कम की गई आवश्यकता तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-थल सेना					
158.	4076.01.101 - वायुयान तथा हवाई इंजन	1527.79	1210.14	317.65	संशोधित अनुमान (सं.अ.) स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
159.	4076.01.102 -भारी एवं मध्यम वाहन	2024.37	1325.20	699.17	सं.अ. स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती तथा डी.जी.ओ.एफ. लक्ष्यों का नीचे की ओर संशोधन।
160.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	9757.86	7724.39	2033.47	सं.अ.स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती तथा डी.जी.ओ.एफ. लक्ष्यों की कटौती।
161.	4076.01.202 - निर्माण कार्य	4343.29	3865.37	477.92	डी.जी.एम.ए.पी. के अतर्गत अनुबंधों के रद्दीकरण के कारण तथा परिणाम की प्रगति योजना के अनुसार नहीं हुई।
02- नौ सेना					
162.	4076.02.202 - निर्माण कार्य	641.25	515.65	125.60	एम.ए.पी. के अतर्गत किए गए कम व्यय के कारण।
163.	4076.02.204- नौसेनिक बेड़ा	11772.26	8150.99	3621.27	पी.71 के संबंध में भुगतान के विसर्पण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती के कारण भुगतानों के विलम्बन के कारण।
164.	4076.02.205- नौसेनिक गोदी	2011.17	632.33	1378.84	परियोजना वर्षा तथा परियोजना अम्बर के अतर्गत व्यय की निम्न प्रवृत्ति के कारण।
03- वायु सेना					
165.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	11505.65	7761.08	3744.57	लघु शीर्ष 101 के तहत आवश्यक देयताओं को पूरा करने हेतु लगाई गई कटौती के प्रकाश में आवंटन को पुनः प्राथमिकता देने के कारण।
166.	4076.03.206- विशेष परियोजनाएं	650.15	348.33	301.82	ठेकेदारों के साथ समस्याओं मुख्यतः ई.ए.सी. तथा एस.डब्ल्यू.ए.सी. में, जो कम व्यय का कारण बने, के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।

अनुबंध 3.15

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट	वास्तविक	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			प्रावधान	व्यय		
(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं.4- परमाणु ऊर्जा						
1.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	2011-12	154.00	--	154.00	100
		2012-13	216.00	--	216.00	100
		2013-14	145.00	40.00	105.00	72
2.	4861.60.203.44-तीव्र रियेक्टर ईंधन चक्र सुविधा (ती.रि.ई.च.सु.)	2011-12	150.00	--	150.00	100
		2012-13	580.00	--	580.00	100
		2013-14	263.00	8.51	254.49	97
अनुदान सं -15 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग						
3.	2852.07.202.60- इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन	2011-12	865.14	199.89	665.25	77
		2012-13	752.83	375.05	377.78	50
		2013-14	523.61	332.45	191.16	37
अनुदान सं. 32- विदेश मंत्रालय						
4.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	2011-12	190.00	67.40	122.60	65
		2012-13	302.21	121.88	180.33	60
		2013-14	450.00	164.86	285.14	63
अनुदान सं. 35- विनियोग ब्याज भुगतान						
5.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल (प्रभारित)	2011-12	4900.00	3795.52	1104.48	23
		2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
		2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
अनुदान सं. 36- राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण						
6.	3601.01.104.18- प्रशासन हेतु सहायता अनुदान	2011-12	2028.82	723.23	1305.59	64
		2012-13	3528.82	1636.10	1892.72	54
		2013-14	3629.02	1879.35	1749.67	48
7.	3601.02.101.26-त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	2011-12	12620.00	7459.01	5160.99	41
		2012-13	14242.00	6503.58	7738.42	54
		2013-14	12962.00	4630.00	8332.00	64
8.	3601.02.101.36- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2011-12	12522.00	7337.78	5184.22	41
		2012-13	12522.00	5287.77	7234.23	58
		2013-14	14000.00	7559.00	6441.00	46

9.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2011-12	3000.00	--	3000.00	100
		2012-13	1000.00	--	1000.00	100
		2013-14	1000.00	--	1000.00	100
अनुदान 40- पेंशन						
10.	2071.01.115.01-सामान्य पेंशन	2011-12	1310.00	1172.44	137.56	11
		2012-13	1440.00	1283.64	156.36	11
		2013-14	1450.00	1290.81	159.19	11
अनुदान सं. 47 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
11.	2211.00.109.07-दवाईयों एवं उपकरण का प्रापण (टीकों आदि के अलावा)	2011-12	250.00	21.53	228.47	91
		2012-13	287.65	44.87	242.78	84
		2013-14	287.50	83.73	203.77	71
12.	3601.04.246.01- आर.सी.एच. दवाईयों तथा उपकरणों की आपूर्ति	2011-12	160.50	3.44	157.06	98
		2012-13	164.16	22.81	141.35	86
		2013-14	56.81	--	56.81	100
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग						
13.	2210.02.200.30-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि.के अंतर्गत)	2011-12	228.00	93.43	134.57	59
		2012-13	234.00	71.95	162.05	69
		2013-14	191.97	0.88	191.09	100
अनुदान सं. -53 गृह मंत्रालय						
14.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका	2011-12	2731.16	1328.60	1402.56	51
		2012-13	1754.82	759.43	995.39	57
		2013-14	1045.27	459.44	585.83	56
अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय						
15.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2011-12	348.22	110.62	237.60	68
		2012-13	183.31	151.67	31.64	17
		2013-14	387.48	251.58	135.90	35
अनुदान सं. 57- संघ शासित सरकारों को अंतरण						
16.	3602.02.101.01-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2011-12	1192.73	582.30	610.43	51
		2012-13	1031.61	800.34	231.27	22
		2013-14	1075.31	582.52	492.79	46
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग						
17.	2202.80.800.40- आई.सी.टी. के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	2011-12	657.74	295.41	362.33	55
		2012-13	592.86	149.12	443.74	75
		2013-14	263.48	93.31	170.17	65

अनुदान सं. 75- योजना मंत्रालय						
18.	5475.00.112.38-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2011-12	700.00	245.75	454.25	65
		2012-13	457.00	248.66	208.34	46
		2013-14	800.00	349.78	450.22	56
अनुदान सं. 76- विद्युत मंत्रालय						
19.	2801.06.800.03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतकरण निगम	2011-12	4726.70	2237.31	2489.39	53
		2012-13	3810.00	647.73	3162.27	83
		2013-14	3331.94	2593.89	738.05	22
अनुदान सं. 82- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
20.	5054.02.337.03- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य	2011-12	2611.77	2207.77	404.00	15
		2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
		2013-14	2799.92	2231.13	568.79	20
अनुदान सं. 88- पोत परिवहन मंत्रालय						
21.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्ड तथा निजी क्षेत्र शिपयार्ड को आर्थिक सहायता	2011-12	542.11	122.42	419.69	77
		2012-13	400.00	220.00	180.00	45
		2013-14	300.00	179.40	120.60	40
अनुदान सं. 89 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय						
22.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का कल्याण- आर्थिक विकास	2011-12	757.00	656.40	100.60	13
		2012-13	1174.00	872.05	301.95	26
		2013-14	1028.00	789.78	238.22	23
अनुदान सं. 90- अंतरिक्ष विभाग						
23.	5402.00.101.17-सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र- शार (स.ध.अ.के.-शार)	2011-12	182.96	78.08	104.88	57
		2012-13	224.84	92.35	132.49	59
		2013-14	241.34	115.64	125.70	52

अनुबंध 4.1

(पैरा 4.7.3 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्षों तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित इसमें कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण साकार भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें आकस्मिकता से देय वर्तमान कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को मंत्रालय/विभाग में परिचालित हो, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगी।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर के दौर, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरों पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले सभी आकस्मिक खर्च शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दर एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दर एवं करें आदि शामिल होंगी। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड के छपाई, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्च	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्च, उपहार तथा किए गए दौड़ों पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्य, मशीनरी तथा उपकरणकी मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
34- छात्रवृत्ति/वृत्तिछात्र	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक के अलावा मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यहास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा को अंतरण शामिल होगा, इत्यादि पूंजी से राजस्व को वापस लिखना।
64- बड़े खाते/हानियां	बड़े खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबंध 4.2

(पैराग्राफ 4.7.3 के संदर्भ में)

पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के बजाय सामान्य अनुदान सहायता के तहत दर्ज किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अनुमोदन सं.	अनुदान सं.	विषय/उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	तमिलनाडु	0.0021011/17/2013-पी.एम.-1 दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियां	64.71
2.	पंजाब	VI-21011/15/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियां	30.50
3.	हरियाणा	1-12020/84/2013-एन.सी.बी.-II दिनांक 06.3.2014	55	नशीली दवाईयों के अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए आई.टी. उपकरणों की खरीद	0.04
4.	महाराष्ट्र	23012/39/2013-पी.सी./2 दिनांक 21.1.2014	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि. वि.) की स्थापना	1.50
5.	मध्य प्रदेश	VI-21011/12/2013-पी.एम.-1 दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियां	50.37
6.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-1 दिनांक 23.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	0.38
7.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-I दिनांक 11-11-2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	21.19
8.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-I दिनांक 24-09-2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर	47.51

				योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	
9.	ओडिशा	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 06.03.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना एच.एस./एच.एम. आकस्मिकता रिजर्व योजना के तहत निर्माण गतिविधियों के लिए ओडिशा को अनुदान सहायता जारी करना	5.77
10.	ओडिशा	VI-21011/14/2013-पी.एम.-I दिनांक 06.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना गैर-योजनागत शीर्ष के तहत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उपकरणों की खरीद के लिए ओडिशा को अनुदान सहायता जारी करना	13.16
11.	ओडिशा	23012/39/2013-पी.सी./3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013	55	2013-14 के दौरान उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) के लिए ओडिशा सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	2.00
12.	ओडिशा	VI-21011/14/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना '2013-14- निर्माण गतिविधियों के लिए योजनागत शीर्ष के तहत ओडिशा की राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	28.98
13.	ओडिशा	18015/29(ओ.डी.एस.)/2013- एन.एम..IV दिनांक 25.07.2013	55	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष बलों के महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए/उन्नयन के लिए एस.आई.एस. के लिए योजना के तहत ओडिशा सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	16.22
14.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ. IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (चौथी किश्त)	3.35

15.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (तीसरी किश्त)	3.35
16.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (दूसरी किश्त)	3.35
17.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (पहली किश्त)	2.85
18.	कर्नाटक	VI-21011/10/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना 2013-14 निर्माण गतिविधियों के लिए योजनागत शीर्ष के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	71.27
19.	कर्नाटक	16011/6/2006-पी.एफ.IV दिनांक 10.12.2013	55	कर्नाटक सरकार द्वारा दूसरी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि अनुदान सहायता जारी करना (पहली किश्त)	3.35
20.	केरल	VI-21011/11/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	29.94
21.	हिमाचल प्रदेश	VI-21011/07/2013-पी.एम.-I दिनांक 7.10.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	2.96
22.	हिमाचल प्रदेश	VI-21011/07/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.55
23.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	चौथी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान	3.00

24.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	छठी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान (चौथी किश्त)	1.55
25.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	छठी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान (तीसरी किश्त)	1.21
26.	गोवा	21011/04/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.2.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये गैर योजनागत क्रिया-कलापों की योजना के तहत उपकरणों की खरीद	0.86
27.	गोवा	VI-21011/04/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	1.90
28.	छत्तीसगढ़	18015/29(सी.एच.एच.)/2013- NM.IV दिनांक 21.11.2013	55	विशेष बलों के महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए/उन्नयन के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	16.34
29.	छत्तीसगढ़	23012/39/2013-पी.सी./1 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	2.00
30.	छत्तीसगढ़	VI-21011/03/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	18.05
31.	आंध्र प्रदेश	18015/29(ए.पी.0/2013- एन.एम.IV दिनांक 25.7.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए आधारभूत योजना के तहत जारी	9.99
32.	सिक्किम	6/18/2013-एन.ई.1 दिनांक 6.2.2014	55	उपकरणों की खरीद	1.50
33.	सिक्किम	6/18/2013-एन.ई.1 दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.29
34.	मेघालय	6/14/2013-एन.ई.1 दिनांक 23.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	6.97
35.	उत्तर प्रदेश	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.- II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद- फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के	0.23

				लिए आई.टी. उपकरणों की खरीद	
36.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/18/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	53.30
37.	उत्तराखण्ड	VI-21011/53/2013-पी.एम.-1 दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	2.08
38.	उत्तराखण्ड	VI-21011/19/2013-पी.एम.-1 दिनांक 9.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	2.84
39.	उत्तराखण्ड	VI-21011/19/2013-पी.एम.-1 दिनांक 30.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	6.26
40.	मणिपुर	8/9/2012-एन.ई.1 दिनांक 15.5.2013	55	एस.आर.ई. के तहत शिविरों का निर्माण	5.29
41.	अरुणाचल प्रदेश	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	1.62
42.	नागालैंड	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.- II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए उपकरण की खरीद के लिए	0.36
43.	नागालैंड	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.99
44.	नागालैंड	6/16/2013-एन.ई.1 दिनांक 11.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	9.06
45.	नागालैंड	6/16/2013-एन.ई.1 दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	19.96

46.	नागालैंड	23012/39/2013-पी.सी./4 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	1.00
47.	त्रिपुरा	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.24
48.	त्रिपुरा	6/17/2013-एन.ई.1 दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	14.57
49.	त्रिपुरा	9/14/2012-एन.ई.1 दिनांक 22.7.2013	55	एस.आर.ई. के तहत पुलिस आवास की स्थापना	3.54
50.	असम	6/19/2013-एन.ई.1 दिनांक 27.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	0.09
51.	मिजोरम	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.- II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद- फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए उपकरण की खरीद के लिए	0.30
52.	मिजोरम	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.00
53.	मिजोरम	6/15/2013-एन.ई.1 दिनांक 6.2.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	1.62
54.	झारखण्ड	23012/39/2013/पी.सी./2 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	2.00
55.	झारखण्ड	18015/29(जे.एच.)/2013- एन.एम.IV दिनांक 25.7.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	16.52
56.	बिहार	18015/29(बी.एच.)/2013- एन.एम.IV दिनांक 21.11.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	15.06

57.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	5.30
58.	जम्मू व कश्मीर	23012/39/2013-पी.सी./1 दिनांक 21.1.2014	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	1.50
59.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/03/2013-पी.एम.-I (सी.आर.) दिनांक 17.1.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	12.13
60.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/08/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	74.12
कुल					731.94

अनुबंध-4.3

(पैराग्राफ 4.11 के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में परिचालन में निलम्ब खार्तों का विवरण

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
द्रव प्रणोदक प्रणाली केन्द्र (द्र.प्र.प्र.कें.) के संबंध में						
1	3/5(5)/2002-III 27/3/2003 एवं 3/5/7/2002-III 28/3/2003	40.66	तरल हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना, मै. शुगर लि. थानुकु	भा.स्टे.बैं. वलियामाला, तिरुअनन्तपुरम	0.00	738.80
2	13015/5/2010 धारा-3 (खण्ड.II) 27/3/2010	9.71	क्रायो व सेमीक्रायो गतिविधियों के लिए सी.यू.-सी.आर.-जेड.आर.-टी.आई. तांबा मिश्रित धातु प्लेटों की बिक्री मै. नॉन-फेरस मेटेरियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेन्टर (एन.एफ.टी.डी.सी.) हैदराबाद	भा.स्टे.बैं. वलियामाला, तिरुअनन्तपुरम	1.74	237.79
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.कें.) के संबंध में						
3	बी.12011/11/2009-धारा.2 21/12/2009	18.00	मिधानी में ई.बी. पिघलती भट्टी की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कंचनबाग	1453.16	86.35
4	C.13011/24/2010-11 29/3/2010	28.14	नाइओबियम उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं., नचरम शाखा हैदराबाद	1292.98	100.96
5	C.13011/19/2010-11 24/3/2010 एवं सं.सी.13011/2010-11/ 4/3/2011	23.74	टी.सी.सी., कोच्चि में सोडियम क्लोरेट निर्माण की स्थापना	भा.स्टे.बैं., अलुवा, शाखा अलुवा	0.00	162.31
6	3/1/2/2004-III 18/2/2004 3/1/2/2004-III 21/7/2004	15.60	हिन्द हाई वैक्यूम, बंगलौर से रासायनिक वाष्प जमाव प्रधान तथा एस.आई.सी. परत सहित वैक्यूम इंडक्शन फरनेस की खरीद	भा.स्टे.बैं., पीनया, औद्योगिक, शाखा-बंगलौर	0.00	350.63
7	सी.13011/19/2006-धारा.3 24/3/2006	31.13	एल्युमिनियम एलॉय कास्ट हाऊस तथा विलेट्स की आपूर्ति	भा.स्टे.बैं., बाल्को टाउनशिप, शाखा-कोरबा	0.00	221.45

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
8	3/1/10/2003 दिनांक 01.10.2003 सी.13011/5/2003-III सी.13011/5/2003- धारा.3 30/3/2009	39.50	बाल्को द्वारा सुविधा वृद्धि तथा चादरें	भा.स्टे.बैं., बाल्को टाउनशिप, शाखा-कोरबा	0.00	218.70
9	सी.13011/5/2006- धारा.3 दिनांक 20/2/2006 13011.5.2006/धारा-3 31/3/2010	143.13	के.एम.एम.एल. द्वारा टाइटेनियम स्पंज की स्थापना	भा.स्टे.बैं., व्यावसायिक शाखा- कोल्लम	0.00	3734.22
10	3/1/12/2005-III दिनांक 15/3/2005	31.01	हिन्द हाई वैक्यूम से वैक्यूम प्रणाली की खरीद	भा.स्टे.बैं., पीनया, औद्योगिक शाखा- बंगलौर	0.00	191.29
11	3/1/(15)2001-III दिनांक 27/3/2002 3/1/15/2001-III दिनांक 27/3/2003 3/1/15/2001-III दिनांक 24/3/2004 सी.13011/1/2001- धारा दिनांक 31/3/2008	75.40	बे फार्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रॉलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., व्यावसायिक शाखा, चेन्नई	0.00	46.50
12	3/1/5/03-III दिनांक 1/12/2003 3/1/5/01-III (खण्ड.II) 22/2/2005 सी.13011/1/2001- धारा दिनांक 17/1/2006 सी.13011/1/2001-III दिनांक 7/11/2006	20.00	बे फार्ज लिमिटेड द्वारा कच्ची सामग्री मिल की खरीद	भा.स्टे.बैं., विदेशी, चेन्नई	2000.00	11.33
13	सी.13011/42/2006- III दिनांक 20/2/2007	2.75	एस.आई.एफ.एल. में सुविधा वृद्धि	भा.स्टे.बैं., वलियामाला	0.00	0.21

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
14	3/1/19/2005-III दिनांक 28/3/2005 13011/39/2005-III दिनांक 28.1.2009	159.50	एल एण्ड टी द्वारा हवा सुरंग प्रणाली का डिजाईन निर्माण	भा.स्टे.बैं., सी.ए.जी. शाखा, मुंबई	15950.00	426.42
15	3/1/2005-III 10/3/2005	20.10	न्यूमैन व ऐजर द्वारा उच्च दाब प्रणाली की खरीद	भा.स्टे.बैं., चिंचवाड़, पुणे	0.00	200.61
16	3/1/10/04 दिनांक 27/3/2004 3/1/10/2004-III दिनांक 24/3/2005 3/1/10/2004-III दिनांक 20/1/2006	60.30	मिथानी में सुविधा वृद्धि	भा.स्टे.बैं., चंद्रयानगुहा शाखा, हैदराबाद	0.00	1187.18
		718.67			20697.88	7914.75

अनुबंध 5.1

(पैराग्राफ 5.5.8 (डी) के सदर्थ में)

ऐसे अग्रिमों का विवरण जिनका भुगतान निर्माण एजेंसियों, स्टाफ सदस्यों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को किया गया, किन्तु उ.प्र. में पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया।

(₹ लाख में)

Sl. No.	संस्थान	2011-12	2012-13	कुल
1	पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांग संस्थान (आई पी एच)	42.82	127.05	169.87
2	राष्ट्रीय दृश्य बाधित संस्थान (एन आई वी एच)	109.92	97.81	207.73
3	अलीयावर जंग, बधिर राष्ट्रीय संस्थान (एन आई एच एच)	86.87	79.13	166.00
4	राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (एन आई ई पी एम डी)	703.20	105.58	808.78
5	राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान (एन आई ओ एच)	48.81	103.74	152.55
6	मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान (एन आई एम एच)	232.20	255.41	487.61
7	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	35.02	600.74	635.76
8	भारतीय पुनर्वास परिषद	17.39	8.06	25.45
	कुल	1276.23	1377.52	2653.75

अनुबंध 5.2

(पैराग्राफ 5.5.10 (ई) के संदर्भ में)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उ.प्र. की कुल राशि (₹ लाख में)
1987-1988	208	156.02
1988-1989	519	618.68
1989-1990	247	338.64
1990-1991	432	459.71
1991-1992	462	517.35
1992-1993	332	585.04
1993-1994	545	885.68
1994-1995	690	1202.47
1995-1996	790	1303.37
1996-1997	395	754.65
1997-1998	430	9582.84
1998-1999	306	1075.40
1999-2000	238	2169.03
2000-2001	217	3623.17
2001-2002	335	4056.92
2002-2003	213	1098.86
2003-2004	306	1664.34
2004-2005	551	3271.39
2005-2006	422	1495.42
2006-2007	252	6779.39
2007-2008	758	13902.30
2008-2009	427	9963.09
2009-2010	108	616.01
2010-2011	267	2763.94
2011-2012	310	2633.94
2012-2013	577	7256.76
	10337	78774.41

अनुबंध 5.3

(पैराग्राफ 5.5.15 और 5.5.26 के संदर्भ में)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा संसद को सूचित किए बिना निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को ₹10 लाख से ₹25 लाख तक अवमुक्त की गई अनुदान सहायता

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1.	मानव उत्थान सेवा धर्माथ न्यास	14.12	--	--
2.	उत्तर-पूर्व ग्रामीण विकास स्वैच्छिक संघ	15.96	--	--
3.	वनीता ज्योति महिला संगम	11.10	--	--
4.	बी.बी.एन. इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन	--	10.00	--
5.	भारतीय बायोटेक सहायता संघ लिमिटेड	--	17.50	--
6.	ग्रामीण विकास धर्माथ न्यास	--	10.55	--
7.	जनहित संस्थान	--	20.00	--
8.	ओएजोन	--	13.90	--
9.	डी.के.टी.ई. सोसाईटी कपड़ा एवं इंजिनियरिंग संस्थान	--	10.50	11.70
10.	सेंट पीटर उच्चतर शिक्षा एवं शोध संस्थान	--	12.46	--
11.	श्री विष्णु शिक्षण संस्थान	--	10.56	--
12.	भारतीय उद्योग महासंघ मुख्यालय	--	13.74	--
13.	पांचाल चीनी मिट्टी संगठन विकास न्यास	--	18.00	--
14.	भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार परिषद	--	--	11.80
15.	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद	--	--	15.00
16.	शारदा विश्व विद्यालय (शारदा शिक्षण न्यास की एक इकाई)	--	--	13.29
17.	विद्यासागर धर्माथ न्यास	--	--	12.03
18.	जे.पी.एस.एसोसिएट्स (प्रा.) लिमिटेड	--	--	20.98
19.	के.आई.आई.टी. तकनीकी व्यवसाय इनक्यूबेटर	--	--	24.59
20.	अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान	--	--	10.00
21.	एण्टीना न्यास	--	--	13.94
22.	मध्य प्रदेश उद्योग संघ	--	--	10.01
23.	एक्सियोम सामाजिक सेवा संस्था	--	--	13.96
24.	महिला उद्यमी महासंघ	--	--	15.60
25.	निर्धन एवं शिक्षण सेवा विकास संगठन	--	--	13.53
26.	आन्ध्र प्रदेश फाईबर ग्लास उद्योग संघ	--	--	17.53
27.	गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	--	--	11.72
28.	होसूर लघु एवं सुक्ष्म उद्योग संघ	--	--	10.28
29.	जामनगर कारखाना मालिक संघ	--	--	18.46
30.	भारतीय महिला उद्यमी महासंघ	--	--	10.00
31.	मेपको श्लैक इंजीनियरिंग कॉलेज समिति शिवकाशी	--	--	24.47
32.	मातृ सामाजिक सेवा न्यास	--	--	10.80
33.	एन.आई.एफ.टी. टी निटवेअर फैशन संस्थान	--	--	17.99
34.	आफसेट प्रिंटर्स एसोसिएसन, लुधियाना	--	--	11.58
35.	ग्रामीण क्षेत्र विकास संगठन	--	--	11.73
36.	सहयोग अपंग बहुदेशीय संस्था	--	--	16.30

37.	सामाजिक विकास संगठन	--	--	11.63
38.	मानव उन्नति एवं ग्रामीण शिक्षा संस्था	--	--	25.00
39.	स्वयं उद्योगी नारी	--	--	12.80
40.	दक्षिण भारत कोरुगेटेड बॉक्स उत्पादक संघ	--	--	10.33
41.	महिला उद्यमी कल्याण संगठन	--	--	23.92
42.	जिय्योन कल्याण न्यास	--	--	12.57
	कुल	41.18	137.21	443.54

अनुबंध 5.4

(पैराग्राफ 5.5.21 के संदर्भ में)

**सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में 31 मार्च 2014 को वर्ष-वार लंबित
उपयोगिता प्रमाण पत्र**

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2005-06	1	1.00
2006-07	1	1.25
2007-08	1	0.95
2008-09	8	5.43
2009-10	37	143.20
2010-11	70	699.05
2011-12	29	335.41
2012-13	95	6403.45
कुल	242	7589.74